

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Established by an act of Rajasthan Legislative Assembly and Recognized by UGC, NCTE and AIU



शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम (दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा)

सत्र : 2019-21

प्रवेश विवरणिका

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त वरियता सूची में स्थान प्राप्त करने की स्थिति में काउंसलिंग में आने से पहले इस विवरणिका को अवश्य पढ़ लें और इसके साथ संलग्न फार्म भरकर एवं शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर एवं समस्त मूल दस्तावेजों एवं उनकी एक फोटो प्रति के साथ काउंसलिंग के समय अवश्य लेकर आये।

(इस विवरणिका को जब तक आपकी बी.एड. चल रही है तब तक संभालकर रखें।)

स्नातक शिक्षा (बी.एड.) संबंधी मान्यता आदेश

यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के उत्तर क्षेत्रीय समिति (NRC-NCTE), जयपुर से मान्यता प्राप्त है। इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करने हेतु NRC-NCTE, जयपुर ने मान्यता आदेश संख्या : F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E)/2000/9745 के तहत दिनांक 21.8. 2000 को स्थायी मान्यता आदेश जारी किया। तथा यू.जी.सी. ने पत्र क्रमांक F.No.6-7/2018(DEB-III) दिनांक 18.10.2018 द्वारा मान्यता को जारी रखा है। इस पाठ्यक्रम में कुल सीटों की संख्या 500 है।

Toll Free: 1800 – 180 – 6166

Phone: 0744-2797000, Fax No.:07442472525

E-mail: soe@vmou.ac.in , info@vmou.ac.in

Website: www.vmou.ac.in

प्रो. नीलिमा सिंह
कुलपति

श्री महेन्द्र मीना कुलसचिव	प्रो. एच.बी. नंदवाना निदेशक (संकाय)	डॉ. अनिल कुमार जैन निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
शिक्षा विद्यापीठ संकाय सदस्य		
डॉ अनिल कुमार जैन , (सहआचार्य)	9414024778	akjain@vmou.ac.in
डॉ कीर्ति सिंह (सहायक आचार्य)	9414024810	keertisingh@vmou.ac.in
डॉ.पतंजलि मिश्र(सहायक आचार्य)	9414024795	pmisra@vmou.ac.in
डॉ.अखिलेश कुमार(सहायक आचार्य)	9414026390	akumar@vmou.ac.in

पाठ्यक्रम मान्यता सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

1. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा राज्य सरकार के अधिनियम 1987 नं.35—1987 के अन्तर्गत स्थापित है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश है।
2. यह विश्वविद्यालय यूजीसी के सेक्शन 12—बी के अन्तर्गत देश का एक मान्यता प्राप्त खुला विश्वविद्यालय है। (यू.जी.सी.पत्र संख्या एफ—5—11/87 सी.पी.पी. दिनांक 30 मार्च, 1989)
3. यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जा रहे सभी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि अन्य सभी विश्वविद्यालयों के समकक्ष स्वीकृत हैं। EV/II(80)90/17630 दिनांक 28 फरवरी 1991)
4. यह बी.एड. कार्यक्रम NCTE से स्थायी मान्यता प्राप्त है। मान्यता क्रमांक :F-3/RJ-22/B.Ed. (D.E) / 9145/2000 Dated: 21.8.2000 तथा यूजीसी से अपने पत्र क्रमांक F.No.6-7/2018(DEBIII) दिनांक 18.10.2018 द्वारा मान्यता को जारी रखा गया है।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के परिपत्र F-I-52/2000(CPP-II) दिनांक 2 नवंबर ,2004 के अनुसार यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 सेक्शन 22(I) के अनुसार यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार के सर्टिफिकेट , डिप्लोमा और डिग्री देने के लिए अधिकृत है | यू. जी. सी. के अनुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा मुक्त/ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान किये गए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री परम्परागत विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के समकक्ष माने जायेंगे। मान्यता संबन्धित आवश्यक सभी प्रपत्र www.vmou.ac.in पर उपलब्ध है।

बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता संबंधी पत्र

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION IV

F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E.)/2000/9745

Dated: 21.8.2000

RECOGNITION ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act 1993, **the Northern Regional Committee grants recognition to Kota Open University, Rawatbhata Road, Rajasthan for B.Ed. Distance Education two years from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 500 (Five Hundred) students** subject to fulfilling the following condition:

1. All such teachers already appointed who do not fulfill the NCTE norms shall acquire the qualification as per the norms within a period of two years of this order.
2. The institution shall ensure library, laboratories and other institutional infrastructure as per NCTE norms.
3. The admission to the approved courses shall be given only to those candidates, who are eligible as per the regulation governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/ State Government.
4. Tuition fees and other fees shall be charged from the students as per the norms of the affiliating university/ State Government till such time NCTE regulation in respect of fee structure come into force.
5. Curriculum transaction, including practical work/ activities should be organized as per the norms and standards for the course and the requirement of the affiliating university/ examining body.
6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
7. The institution, if unaided shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
8. The institution shall continue to fulfill the norms laid down under the regulation of the NCTE and submit the Regional committee the Annual report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal should inter alia give the extent of compliance of the condition indicated at 1 to 7 above.

If Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota Rajasthan contravenes the provision of the NCTE Act or the rules, regulation and orders made or issued there under or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provision of Section 17(l) of the NCTE Act.

By order,
Sd.
Regional Director

The Manager
Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110054

Copy to:

1. Secretary, Department of Secondary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. Education Secretary, Higher Education, Govt of Rajasthan, Jaipur
3. Education Secretary, Secondary Education, Govt of Rajasthan, Secretariat, Jaipur
4. Registrar, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
5. Director, Distance Education Council (IGNOU),76, Hauz Khas, New Delhi-110016
6. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, New Delhi- 110016
7. The Head, Department of Education, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
8. Computer Cell (NRC)

Sd.
Regional Director

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय : एक परिचय

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में राजस्थान राज्य सरकार शासन अधिनियम संख्या 35 - 1987 द्वारा इस उद्देश्य से की गयी कि तमाम ज्ञान और कला-कौशल की 'स्वयं सीख पाने' की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। आरम्भ में इस विश्वविद्यालय को कोटा खुला विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। 21 सितम्बर, 2002 से इसका नाम बदलकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय किया गया। विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कभी भी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाय। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नये द्वार खुल सकें। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से स्त्रियों, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक जा पहुँची है। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संगठनों से सहमति अनुबन्ध पत्र (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित करके व्यवस्था की गयी है कि तमाम ज्ञान और संसाधनों का जनहित में मिलजुल कर उपयोग किया जा सके। विश्वविद्यालय का मूल चिन्तन है कि विकास के सभी महत्वपूर्ण कारकों को गुणकारी उच्च शिक्षा द्वारा प्रतिष्ठित कर राज्य ही नहीं देश की सेवा में लाया जा सके। विश्वविद्यालय ने 7 क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थापित किये गए हैं जहाँ से सम्बद्ध लगभग 82 अध्ययन केन्द्रों द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु 10 अध्ययन केन्द्र कार्यरत हैं।

शिक्षा विद्यापीठ :

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के सतत शिक्षा विद्यापीठ के अंतर्गत शिक्षा विभाग को क्रमोन्नत कर वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय के पांचवें विद्यापीठ के रूप में 'शिक्षा विद्यापीठ (School of Education)' को वैधानिक स्वीकृति मिली। शिक्षा विद्यापीठ, विश्वविद्यालय की स्थापना से ही विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं प्रकृति के संपोषणीय विकास व एक नागरिक तथा ज्ञान समाज के निर्माण हेतु व अधिकाधिक शिक्षकों व शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सदैव प्रयत्न करता रहा है। शिक्षा विद्यापीठ ने अपने उपयोगी पाठ्यक्रमों में पौर्वात्य एवं पाश्चात्य शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान की परंपरा का कुशल समायोजन किया है। शिक्षा विद्यापीठ के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है :-

1. शिक्षा में विद्या वारिधि (पीएच.डी.)
2. विशिष्ट शिक्षा में विद्या वारिधि (पीएच.डी.)
3. शिक्षा में स्नातकोत्तर [कला (एम.ए. एजुकेशन)]
4. मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर
5. स्नातक शिक्षा (बी.एड.)
6. स्नातक [कला (शिक्षा एक विषय के रूप में)]
7. स्नातक [कला (मनोविज्ञान एक विषय के रूप में)]
8. निर्देशन परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीसी)
9. स्नातक [कला एडीशनल (शिक्षा)]
10. स्नातक [कला एडीशनल(मनोविज्ञान)]

प्रमुख अनुदेशन सेवाएँ:

1. मुद्रित अनुदेशन सामग्री, 2. परामर्श सत्र, 3. विशेष परामर्श सत्र, 4. प्रायोगिक सत्र, 5. वेब रेडियो, 6. ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, 7. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा, 8. ईमेल संवाद सेवा, 9. दूरभाष सेवा, 10. मूडल आधारित अनुदेशन, 11. ग्रंथालय, 12. ई-लाइब्रेरी

नोट: शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार की गयी यह कार्यक्रम विवरणिका अति संक्षिप्त है। इस विवरणिका में केवल बी.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बंधित विशिष्ट तथ्यों का ही विवरण है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली मूल विवरणिका (जो ऑनलाइन उपलब्ध है) में सभी पाठ्यक्रमों से सम्बंधित सामान्य नियमों (प्रवेश से लेकर परीक्षा तक) का वर्णन है जो इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों पर भी लागू होगा।

बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी

योग्यता : ऐसे अभ्यर्थी जो निम्नलिखित तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हों:-

1. किसी राजकीय/गैर राजकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 अथवा कक्षा 1 से 8) को पढ़ाने वाले अध्यापक हों।
2. जिन्होंने नियमित रूप से बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) इत्यादि समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ हो।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर (कला/विज्ञान/वाणिज्य) परीक्षा सामान्य वर्ग न्यूनतम 50 प्रतिशत,/ बी.टेक स्नातक (विज्ञान गणित विशेषज्ञता के साथ) सामान्य वर्ग न्यूनतम 55 प्रतिशत से उत्तीर्ण हों।

राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग, द्विव्यांग तथा विधवा एवं तलाकशुद्धा महिला अभ्यर्थियों को उक्त स्नातक/स्नातकोत्तर अर्हता प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

नोट:— शिक्षण अनुभव में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है,लेकिन पूरी बी.एड. के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए।

नोट -

1. वही विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करे जिनका स्नातक में वांछित प्रतिशत (सामान्य वर्ग 50 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग 45 प्रतिशत) नहीं है और स्नातकोत्तर में यह वांछित प्रतिशत है।
2. यदि किसी विद्यार्थी ने दो विषयों में स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें (जिससे संबंधित शिक्षण विषय बी.एड. में लेना है)।
3. जिन विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंक तालिका में CGPA ग्रेड मिला है वे अपने विश्वविद्यालय से उस ग्रेड को प्रतिशत में बदलवा कर प्रेषित करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करें।

पाठ्यक्रम अवधि : न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष

क्रेडिट : 75

पाठ्यक्रम शुल्क :

प्रथम वर्ष शुल्क: 26,880 रूपये (प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त वरीयता सूची में आने पर काउन्सलिंग के दौरान पात्र होने की स्थिति में मुख्यालय कोटा पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित आरियण्टल बैंक आफ कॉमर्स में बैंक चालान द्वारा जमा किया जाएगा।)

द्वितीय वर्ष शुल्क: 26,880 रूपये अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राशि दोनों में से जो भी अधिक हो।

प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरान्त द्वितीय वर्ष के अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में ऑन लाइन फार्म भरते समय द्वितीय वर्ष का शुल्क लिया जायेगा शुल्क ई-मित्र तथा नेट बैंकिंग द्वारा भरा जा सकेगा। चाहे प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आये या न आये। आपको द्वितीय वर्ष का प्रमोटी फार्म आवश्यक रूप से भरना है, तभी बी.एड. का प्रवेश जारी रहेगा और आप अधिकतम 5 वर्ष की अवधि का लाभ ले सकेंगे। नेट बैंकिंग/ई-बैंकिंग से भुगतान करने की स्थिति में वह खाता विद्यार्थी के स्वयं के नाम का होना चाहिए।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र : यह पाठ्यक्रम प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 अथवा 1 से 8) को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है इसलिए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना आवश्यक है, जिसके सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश काउन्सलिंग के समय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा | अभ्यर्थी का शिक्षक अनुभव प्रवेश परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि अथवा उसके पूर्व से होना चाहिए अर्थात् आवेदक प्रवेश परीक्षा आवेदन करने से लेकर निरन्तर अध्यापक होना चाहिए। शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता नहीं है। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म भरते समय बनवायें और यदि चयन हो जाये तो काउन्सलिंग के समय उपस्थित होने पर भी पुनः बनवायें। अभ्यर्थी को शिक्षण अनुभव से सम्बंधित तथ्यों को आवेदन पत्र में ऑन-लाइन भरना होगा जिसे प्रवेश काउन्सलिंग के समय अनुभव प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा | ध्यातव्य हो कि शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे प्रवेश काउन्सलिंग के समय मूल दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरते समय इसकी जाँच अवश्य कर लें। लापरवाही या भूलवश की गई कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापन अनुभव होना आवश्यक है। अन्य पद पर कार्यरत रहते अगर शैक्षणिक अनुभव है तो वह मान्य नहीं होगा साथ ही वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत होना भी आवश्यक है।

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है।

- (i) शिक्षण विषय से अभिप्राय है ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु लिया हो यह विषय ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है, बशर्ते अभ्यर्थी ने इस विषय में कम से कम दो वर्षों तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय ने प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। शिक्षण विषय में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः अहंताकारी विषय सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य शिक्षा/भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास/प्रारंभिक गणित आदि जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किये गये हैं या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ़ कर द्वितीयादि वर्षों में छोड़ दिया गया हो - शिक्षण विषय के रूप में नहीं माना जायेगा। ऑनर्स स्नातक के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय को भी माना जायेगा बशर्ते अभ्यर्थी ने उस विषय को न्यूनतम दो शिक्षा सत्रों तक पढ़ा हो और प्रत्येक सत्र के अंत में उसकी परीक्षा दी हो। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंकतालिका में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के प्राप्तांक एवं द्विवर्षीय स्नातक उपाधि की स्थिति में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्राप्तांक अलग अलग दर्शित किये जाकर इनका संकलन होना आवश्यक है।
- (ii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बी.ए. डिग्री इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र मनोविज्ञान और समाजशास्त्र इन विषयों में से किन्हीं एक या दो विषयों को लेकर प्राप्त की है उन्हें बी.एड. परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान (social studies) विषय लेने की अनुमति होगी।
- (iii) कृषि स्नातकों को बी.एड. परीक्षा के लिये विज्ञान और जीव विज्ञान (Biology) विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान विषय लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए भी रहेगी जिन्होंने अपनी बी.एस.सी. डिग्री होम साइन्स विषय लेकर अथवा बी.एस.सी. परीक्षा 1. रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीवन विज्ञान (Life Science) का कोई विषय अर्थात् जीव विज्ञान (Biology) अथवा वनस्पति विज्ञान (Botany) अथवा जन्तु विज्ञान (Zoology) विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- (iv) जिस अभ्यर्थी ने बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है, वह बी.एड. परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने का पात्र होगा।
- (v) जहां किसी अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय से भिन्न एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनों विषय शाला शिक्षण विषय हो और अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहे तो उसे स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय दिया जा सकता है।
- (vi) वाणिज्य स्नातक 'अर्थशास्त्र' विषय नहीं ले सकता है।
- (vii) अभ्यर्थी जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने वाला कोई दो शिक्षण विषय (Practice Teaching subject) नियमानुसार नहीं बनते हैं वे टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नहीं है। बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.ई./बी.एस.सी. बॉयोटेक्नॉलोजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने वाले विषय नहीं बनते है तो बी.एड. किये जाने के लिये पात्र नहीं है।

महत्वपूर्ण नोट:

- ✓ आवेदक प्रवेश विवरणिका में उल्लेखित सामान्य निर्देशों को भली भांति पढ़कर ही फार्म भरे। गलत सूचना देने पर किसी भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- ✓ आवेदन पत्र भरते समय आवेदक अपनी पात्रता, केटेगरी की जांच स्वयं कर लें।
- ✓ आवेदक के प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार है कि वह आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र, केटेगरी इत्यादि के सन्दर्भ में किसी भी समय दोषी पाए जाने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त किया जाएगा व फीस जब्त कर ली जाएगी।
- ✓ कार्यक्रम फीस मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही जमा करें।
- ✓ एक बार फीस जमा हो जाने के बाद किसी भी हालात में वापिस नहीं की जाएगी।
- ✓ बी.एड. कार्यक्रम शुल्क बैंक चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा में जमा किया जा सकेगा।

॥आवश्यक सूचना॥

इस प्रोग्राम में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में बुलाए गए सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस कार्यक्रम विवरणिका के अंतिम भाग में प्रवेश व सत्रांत परीक्षा आवेदन पत्र जो संलग्नित हैं, को भरकर साथ लाएं ताकि यदि आप काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु योग्य पाए जाते हैं तो प्रवेश व सत्रांत परीक्षा आवेदन पत्र को जमा करने में आपको यहाँ अनावश्यक समय नहीं देना होगा व जल्दीबाजी में कोई गलती होने की भी आशंका नहीं रहेगी | प्रवेश आवेदन पत्र के सभी रिक्तियों को सही-सही भरें तथा सभी वांछित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों को संलग्नित कर लाएं | अपने प्रोग्राम, विषय, क्षेत्रीय केंद्र, परीक्षा केंद्र सहित

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश काउन्सलिंग के लिए सामान्य निर्देश

बी.एड. प्रवेश के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, कोटा स्थित शिक्षा विद्यापीठ भवन में काउन्सलिंग आयोजित की जाएगी। बी.एड. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण व मेधा सूची में स्थान प्राप्त अनारक्षित व आरक्षित वर्गों के अनुरूप सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के वेबसाइट/ एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचित किया जाएगा। काउन्सलिंग हेतु जिस दिन आपको विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर सूचित कर बुलाया जाए, उस दिन आपसे संबंधित सभी दस्तावेजों जिनकी आपने फार्म में पूर्ति (ऑनलाईन) की थी उनकी मूल प्रतियां एवं सत्यापित छायाप्रति की एक प्रति एवं स्वयं के दो फोटो साथ लेकर आएं। सभी प्रमाण पत्रों की जांच काउन्सलिंग के समय ही की जाएगी। यदि किसी प्रकार की कोई कमी पायी गई तो विश्वविद्यालय तुरन्त प्रभाव से गलत सूचना देने के आरोपी मानते हुए आपका प्रवेश निरस्त कर सकता है।

काउन्सलिंग के समय आवेदक को निम्नांकित मूल दस्तावेज एवं एक सेट स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो कॉपी लानेहोंगे:-

1. माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र (जन्म तिथि एवं नाम को जाँचने हेतु)
2. सीनियर सेकंडरी या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र
3. बी.एस.टी.सी. (BSTC)/डी.एल.एड.(D.El.Ed.)/ इत्यादि समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ हो। **दोनों वर्षों की** अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र जिसमें **Regular** लिखा हुआ हो अन्यथा जिस संस्थान से आपने उक्त पाठ्यक्रम किया है वहां से **Regular** का प्रमाण पत्र लाये।

नोट - वे विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान राज्य के बाहर अथवा जम्मू एवं कश्मीर से नियमित रूप से बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड. या समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो पूर्ण किया है ऐसे अभ्यर्थी अपना राज्य सरकार में नियुक्ति पत्र एवं ज्वाइनिंग पत्र काउन्सलिंग के समय साथ में लेकर आएं। और यदि वे गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हों तो बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड. जिस संस्थान से किया है उसका इस पाठ्यक्रम के लिये जारी NCTE का मान्यता प्रमाण पत्र साथ में लेकर आये।

4. बी.ए/बी.कॉम/बी.एस सी (BA/BCom/B.Sc.) **तीनो वर्षों की** / बी.टेक (B.Tech) **चारो वर्षों की** अंकतालिका व प्रमाण पत्र
5. एम.ए/एम.कॉम/एम. एस सी (MA/MCom/M.Sc) **दोनों वर्षों की** अंकतालिका व प्रमाण पत्र

नोट - यदि अंकतालिका नेट से डाउनलोड की गई हो तो उस अंकतालिका में पूर्णांक एवं प्राप्तांक स्पष्ट लिखे होने चाहिए तथा इस अंकतालिका को उस विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय सील प्रमाणित करवा कर लाये।

6. निर्धारित प्रारूप में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र
7. निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र
8. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (Non Creamy layer)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी (Non Creamy layer) / एस.टी. (अनुसूचित क्षेत्र), विधवा/ परित्यक्ता/शारीरिक रूप से विकलांग/ सेनिक/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) सम्बंधित प्रमाण पत्र
9. यदि काउन्सलिंग में आप द्वारा प्रस्तुत किया गये सभी दस्तावेज सत्य व वैध पाया गये तो पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में आपको रु. 26,880 (प्रथम वर्ष शुल्क) बैंक चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा में उसी दिन जमा कराना होगा।
10. राजस्थान राज्य से बाहर के स्थानों पर सेवारत अध्यापकों के लिए 100/— रुपये के स्टाम्प पर नोटरी युक्त शपथ पत्र।

शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाये:

प्रवेश काउन्सलिंग के समय विवरणिका में जिस प्रकार का प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्य किसी भी प्रकार के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र में दिए गए स्थानों पर सही जानकारी साफ सुथरी भरी या लिखी जानी आवश्यक है। किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग या काट छांट वाला प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। वह संस्था प्रधान से सत्यापित (तिथि के साथ) एवं विधालय जावक क्रमांक एवं तिथि अंकित किया हुआ होना चाहिए। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी को उस विद्यालय की राज्य/केंद्र सरकार से मान्यता पंजीकरण संख्या मय दिनांक भरना आवश्यक है।
3. राजस्थान के निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में तथा राजस्थान राज्य से बाहर के सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी/ब्लाक शिक्षा अधिकारी) से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। तथा उस कार्यालय का जावक क्रमांक भी अंकित होना आवश्यक है।
4. राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने सक्षम शिक्षा अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।
5. राजस्थान राज्य के बाहर के विद्यालयों में अध्यापन कर रहे यदि किसी अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो उसको काउन्सलिंग के समय इस आशय का शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप संलग्न) कि वह इस बी.एड. कार्यक्रम के सभी घटक यथा 6 माह का इंटर्नशिप कार्यक्रम मय प्रेक्टिस टीचिंग दोनों वर्ष 6 - 6 दिवस के सम्पर्क शिविर, प्रोजेक्ट कार्य, आन्तरिक मूल्यांकन कार्य, राजस्थान के विद्यालयों में ही करेगा। इस हेतु उसे राजस्थान स्थित किसी राजकीय विद्यालय का स्वीकृति पत्र काउन्सलिंग के समय साथ में लाना होगा जिसमें यह लिखा होना चाहिये की वह 6 माह की इंटर्नशिप के अंतर्गत आने वाली प्रेक्टिस टीचिंग तथा अन्य घटक पूर्ण करा लेंगे। चूंकि विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य ही है अतः उसे विश्वविद्यालय के 7 क्षेत्रीय केन्द्रों में से किसी एक एवं उसके अन्तर्गत आने वाले किसी एक अध्ययन केन्द्र का चयन करना होगा एवं उसी क्षेत्र के विद्यालय से स्वीकृति लेनी होगी। और उसी क्षेत्र का परीक्षा केन्द्र का चयन कर सैद्धान्तिक परीक्षा देनी होगी। लेकिन क्षेत्रीय केन्द्र/अध्ययन केन्द्र रिक्त रही सीट के अनुसार काउन्सलिंग के दौरान बदला भी जा सकता है।

प्रवेश आरक्षण नीति:

1. आरक्षण नियमों का पालन राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा।
2. बी.एड. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का चयन वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा। विदित हो कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण का लाभ केवल ऐसे आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है तथा वे NCTE मानदण्डानुसार इस परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हों। बी.एड. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों के आधार पर आरक्षण देते हुए वरीयता सूची बनाई जाएगी।
3. कश्मीरी विस्थापितों के लिए नियमानुसार उपलब्ध सीटों में आरक्षित वर्ग की सीटों के अतिरिक्त एक सीट आरक्षित रहेगी। (कश्मीरी विस्थापितों के लिए भी एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।)
4. जो अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित क्षेत्र) से आते हैं वे अपने निर्धारित आरक्षण प्रमाण पत्र में इस आशय का उल्लेख अवश्य करवाये ताकि वह उनके लिए निर्धारित कोटे का आरक्षण लाभ ले सकें और आनलाइन फॉर्म भरते समय उल्लेख अवश्य करें।

5. सेवारत/सेवामुक्त रक्षाकर्मी के लिए राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। बशर्ते वे NCTE मानदण्डानुसार इस परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हों।
रक्षाकर्मी के लिए - यूनिट मेजर/सचिव, सैनिक बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में इस श्रेणी के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा। **(प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है)**
6. राज्य के बाहर की महिला के राजस्थान में विवाह होने पर उसके पति का निवास स्थान यदि राजस्थान में है तो विवाहित का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान माना जा सकता है बशर्ते पति के राजस्थान में बोनाफाइड निवास का प्रमाण पत्र पेश किया जाए तथा साथ ही विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त बोनाफाइड निवास का प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो परीक्षा में बैठने के लिए भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाए। विवाह के पश्चात् यदि आपका नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो उसका गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें।

आरक्षण का लाभ ले रहे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर लें:—

1. वह आवेदक जो एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (Non Creamy layer)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी (Non Creamy layer) /एस.टी.(अनुसूचित क्षेत्र), आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्गों से होंगे उन्हें जिला दण्ड अधिकारी/उपजिला जिलादण्ड अधिकारी/तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अथवा उस प्रमाण पत्र के लिये निर्धारित सक्षम अधिकारी से मान्य प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र .बी.एड. प्रवेश परीक्षा परिणाम के काउंसिलिंग के समय तक मान्य होना चाहिए। विदित हो कि ओ.बी.सी., एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी (Non Creamy layer) का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय से एक वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
2. तलाकशुदा महिला आवेदकों को न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विधवा आवेदकों को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका से हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना होगा।
3. विधवा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि मैं अभी भी विधवा/परित्यक्ता हूँ। मैंने पुनः विवाह नहीं किया है। विधवा संवर्ग के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं न्यायालय से जारी डिक्री की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें।
4. शारीरिक विकलांग आवेदकों को सम्बन्धित डी.एम.एच.ओ.के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ मेडिकल बोर्ड अथवा असमर्थता अंग संबंधी आंगिक विशेषज्ञ रीडर द्वारा हस्ताक्षरित या
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ असमर्थता अंग संबंधी आंगिक कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा वहाँ के सी.एम.एच.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित

अन्य सामान्य निर्देश

1. आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण अनुभव का निर्धारण संवैधानिक निकाय एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली द्वारा किया जाता है जो कि समय-समय पर बदली जा सकती है। जो सभी के लिए बाध्यकारी है विश्वविद्यालय की इस स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके उच्चाधिकारी किसी भी कारण से इस पाठ्यक्रम को करने की अनुमति नहीं देते हैं तो इस हेतु विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि गलत प्रमाण पत्र पाए जाने की स्थिति में वह किसी भी अभ्यर्थी का किसी भी समय प्रवेश निरस्त कर सकता है।
3. अभ्यर्थी ने जो जानकारी ओ.एम.आर. शीट में भरी होगी वही अंतिमरूप से परीक्षा परिणाम जारी करने हेतु मान्य होगी। अतः अभ्यर्थी ओ.एम.आर. व आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी व योग्यता तथा अन्य सभी भरी हुई जानकारी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। श्रेणी, योग्यता, अनुभव इत्यादि सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच काउन्सिलिंग के दौरान की जायेगी। उस दौरान कोई कमी पायी गयी तो अभ्यर्थी को अयोग्य ठहरा कर प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

विद्यार्थी के क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र का आवंटन

अभ्यर्थी के अध्ययन केन्द्र का निर्धारण बी.एड. प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग तिथि की प्रथम उपस्थितिके आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर हैं।

1. अजमेर
2. बीकानेर
3. जयपुर
4. जोधपुर
5. कोटा
6. उदयपुर
7. भरतपुर

प्रवेश आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें 1,2,3,4,5,6,7 अंकों से चिन्हित करना होगा। NCTE मानदण्डानुसार प्रति अध्ययन केन्द्र 50 सीट निर्धारित है।

विश्वविद्यालय के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी अध्ययन केन्द्र दे सकता है। अतः विद्यार्थियों की सीटों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में सीटों की उपलब्धि के अनुरूप काउंसलिंग तिथि की प्रथम उपस्थितिके आधार पर किया जाएगा। आप द्वारा मांगा गया क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र आपका अधिकार नहीं है। यह विश्वविद्यालय द्वारा आपको प्रदान की गई सुविधा है। अतः इसमें परिवर्तन का एकाधिकार विश्वविद्यालयके पास सुरक्षित है। यद्यपि आप द्वारा अंकित प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन/क्षेत्रीय केन्द्र आवंटित करने का विश्वविद्यालय प्रयत्न करेगा। यदि ऐसा संभव न हुआ तो विश्वविद्यालय को केन्द्र आवंटन का अधिकार होगा, वह अंतिम निर्णय होगा।

क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयके राजस्थान के सात क्षेत्रीय केन्द्र हैं जिनके अंतर्गत वर्तमान में बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दसअध्ययन केन्द्र हैं। अध्ययन केन्द्रों की सूची निम्नवत है:-

क्र.सं.	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र कोड	बी.एड.अध्ययन केंद्र	अध्ययन केंद्र कोड
1	अजमेर	1	हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय शिक्षण संस्थान हटूंडी, अजमेर	1040
2	बीकानेर	2	राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर	2024
3	जयपुर	3	एस.एस.जी.पारीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जयपुर	3096
4	जयपुर	3	एस.एस. जैन सुबोध महिला टी.टी. कॉलेज, जयपुर	3097
5	जोधपुर	4	मॉडल अध्ययन केंद्र, वी.एम्.ओ.यू., जोधपुर	4000
6	जोधपुर	4	श्री आर.एन.मेमोरियल महिला टी.टी. कॉलेज, जोधपुर	4034
7	कोटा	5	जवाहर लाल नेहरू पी.जी.टी.टी.कॉलेज, कोटा	5046
8	कोटा	5	मॉडल अध्ययन केंद्र, वी.एम्.ओ.यू., कोटा	5000
9	उदयपुर	6	राजस्थान महिला टी.टी. कॉलेज, उदयपुर	6054
10	भरतपुर	7	महाराजा सूजमल टी.टी. कॉलेज, भरतपुर	7003

परीक्षा केन्द्रों की सूची:

(प्रत्येक वर्ष के अन्त में होने वाली सत्रांत परीक्षा के लिए)

Regional Centre	City
Ajmer	Ajmer, Bhilwara, Niwai, Beawer, Tonk, Nagaur, Didwana, Kekri, Kishangarh, Kuchaman City, Deoli
Bikaner	Bikaner, Anupgarh, Nohar, Sriganganagar, Hanumangarh, Churu, Sardarshar
Jaipur	Jaipur, Alwar, Dausa, Rajgarh (Alwar District), Dholpur, Jhunjhunu, Sikar, Alwar, Neem Ka Thana, Kotputli, Chomu, DataRamgarh

Jodhpur	Jodhpur, Barmer , Pali, Falna, Jaisalmer, Jalor, Balotra, Sirohi, Bhinmal, BhopalGardh, Bilara, Balesar, Piparcity, Osian, Phalodi, Baytu, Siwana, Dhorimanna, Jaitarn, Sojatcity
Kota	Kota, Bundi, Baran, Jhalawar
Udaipur	Udaipur, Dungarpur, Banswara, Nathdwara, Pratapgarh, Chittorgarh, Salumber, Abu Road
Bhartpur	Bhartpur, Sawai Madhopur, Karuli, Dholpur

अपरिहार्य सूचनाएँ:

हमने आपको इस पाठ्यक्रम में आप द्वारा किये जाने वाली कार्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करा दी है। कुछ प्रमुख बातों को फिर से देख लें।

1. विश्वविद्यालय आप से अपेक्षा करती है कि आप अपना समस्त पत्राचार ई-मेल के माध्यम से करें। आप अपना सही ई-मेल तथा मोबाईल संख्या को प्रवेश आवेदन पत्र में अवश्य भरें ताकि विभाग शैक्षिक व परीक्षा की गतिविधियों से आपको सही समय पर सूचना प्रदान कर सके। आप अपनी समस्या को ई-मेल (soe@vmou.ac.in) के माध्यम से ही विभाग के समक्ष रखें ताकि आपके समस्या का समाधान तीव्रतापूर्वक समय पर किया जा सके।
2. आपसे यह भी आग्रह है कि आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट (www.vmou.ac.in) का अवलोकन नियमित रूप से करते रहें ताकि पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक सूचना प्राप्त करने हेतु आपको किसी भी दूसरे सूचना स्रोत पर आश्रित न रहना पड़े।
3. मुख्यालय कोटा पर काउन्सलिंग होने के पश्चात् आपका सम्पूर्ण प्रवेश आवेदन पत्र मय दस्तावेज संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर भेज दिया जाता है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो/अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने हों/किसी प्रकार का संशोधन कराना हो तो आपको आवंटित क्षेत्रीय केन्द्र पर संपर्क करें।
4. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इस विवरणिका में बनाए गए नियमों को यथोचित ढंग से बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में आपको यथा-समय पूरक ई-परिपत्रों द्वारा ऐसे परिवर्तनों की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अतः समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें।
5. आप द्वारा हल किए जाने वाले सत्रीय कार्य किसी भी रूप नकल पर आधारित नहीं होने चाहिए। न ही किसी अन्य की फोटोकॉपी। नकल पर आधारित कार्यों को परीक्षक द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे सत्रीय कार्यों को पुनः जमा कराना होगा जिससे आपके परिणाम घोषित होने में एक सत्र की देरी हो जाएगी।
6. फीस जमा कराने का तरीका - पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली किसी भी तरह का फीस केवल चालान के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
7. इस कार्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त आप सभी पंजीकृत विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट से नियमित रूप से संपर्क में रहें क्योंकि विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम संबंधी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं केवल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको प्रदान करता है। इस प्रोग्राम सम्बंधित यदि किसी भी सूचना से आप वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. प्रति वर्ष होने वाले 6 दिवसीय संपर्क शिविर में आपकी उपस्थिति शत प्रतिशत अनिवार्य है अन्यथा आप सत्रांत परीक्षा से वंचित रह जायेंगे।
9. आप नियत समय पर कार्यक्रम के सभी अवयवों यथा - सत्रीय कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, प्रायोगिक कार्य, संपर्क शिविर, इन्टर्शिप इत्यादि को पूरा कर लें ताकि आपको कार्यक्रम की पूर्णता में किसी भी तरह का व्यवधान न हो।
10. आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट से वीडियो लेक्चर, प्रश्न बैंक, सत्रीय कार्य के प्रश्न व अन्य ई-रिसोर्स का प्रयोग करना कतई ना भूलें।

11. आपकी सफलता आपके मनोयोग, तन्मयता, कठिन परिश्रम व आकांक्षा पर निर्भर करेगा। अतः आप इस प्रोग्राम को तन्मयता व कठिन परिश्रम के साथ पूर्ण करें और इस हेतु आपको विभाग व अध्ययन केंद्र के समस्त शिक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा।
12. पाठ्यक्रम संबंधी समस्या के निराकरण हेतु पहले अपने सम्बन्धित अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय केन्द्र पर सम्पर्क करें। यदि आपकी समस्या फिर भी हल नहीं हुई तो आप अपनी समस्या के निराकरण हेतु निम्न पते पर सम्पर्क करें-

क्र.सं.	समस्या	संपर्क सूत्र
प्रवेश, अध्ययन केंद्र, संपर्क शिविर, परामर्श कक्षाएं व अन्य शैक्षणिक समस्या		
1.	डॉ अनिल कुमार जैन, निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ	9414024 778
2.	डॉ कीर्ति सिंह (सहायक आचार्य) (समन्वयक बी.एड.)	9414024810
3.	डॉ.पतंजलि मिश्र (सहायक आचार्य)	9414024795
4.	डॉ.अखिलेश कुमार(सहायक आचार्य)	9414026390
पाठ्य सामग्री संबंधी समस्या		
5.	निदेशक, पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण	9414036050, 8854905968
परीक्षा संबंधित समस्या		
6.	परीक्षा नियंत्रक	9414024734, 9414024853, 9414024862,
7.	उप कुलसचिव परीक्षा	9413140283
8.	सहायक कुलसचिव परीक्षा	9414024856

VMOU Help Line	0744-2797000
-----------------------	---------------------

क्र.सं.	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र का पता	निदेशक	ईमेल	सम्पर्क सूत्र
1.	अजमेर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र वी.एम.ओ.यू. अजमेर, रोड, 790 /8 संत कँवर राम स्कूल के पास गुर्जर मोहला पहाडगंज अजमेर, राजस्थान	डॉ जितेन्द्र कुमार	rcajm@vmou.ac.in	0145-2421409 0145-2622853
2.	बीकानेर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, बीकानेर, 9/4-5, मुक्ता प्रसाद नगर, फुगल रोड सब्जी मंडी के सामने बीकानेर राजस्थान	श्री बलवान सैनी सहायक कुलसचिव निदेशक (I/C)	rcbkr@vmou.ac.in	0151-2250768, 0151-2250758
3.	जयपुर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, वी.एम.ओ. यू. जयपुर, कॉमर्स कॉलेज के नजदीक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान	डॉ. सुरेन्द्र भारद्वाज	rcjpr@vmou.ac.in	09414024954 /0141-2705965
4.	जोधपुर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, व.म.खु.वि. जोधपुर, 2/272-73, कुडीभक्तासनी आर.एच.बी. जोधपुर, राजस्थान	डॉ जितेन्द्र कुमार	rcjdr@vmou.ac.in	09414024834, 0291-2730665
5.	कोटा	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, वी.एम. ओ. यू. कोटा वी.एम.ओ.यू. परिसर, रावतभाटा रोड, कोटा, राजस्थान	डॉ दिलीप कुमार शर्मा	rckota@vmou.ac.in	09414024934 0744-2473517

6.	उदयपुर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, वी.एम.ओ.यू. पुराणी आरटीओ बिल्डिंग सूरजपोल उदयपुर राजस्थान	डॉ रश्मि बोहरा	rcudr@vmou.ac.in	09414024836 0294-2417149
7.	भरतपुर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, वी.एम.ओ.यू. कोठी पुष्प वाटिका सारस चौराहा के पास भरतपुर राजस्थान	श्री एस.बी. सिंह सहायक कुलसचिव निदेशक (I/C)	rcbpr@vmou.ac.in	05644-234055 05644-234054

नोट: कार्यालय समय में ही (सुबह दस बजे से सायं पांच बजे के मध्य) दूरभाष पर संपर्क करें।

अध्ययन केन्द्रों का संपर्क सूत्र:

क्र सं.	क्षेत्रीय केंद्र	बी.एड.अध्ययन केंद्र	अध्ययन केंद्र कोड	मुख्य समन्वयक	समन्वयक	सम्पर्क सूत्र
1.	अजमेर	हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय शिक्षण संस्थान, हट्टंडी, अजमेर-305012	1040	डॉ. ललिता शर्मा	डॉ0 उषा राठोड	0145-2796326, 9460177888 ctehatundi@gmail.com
2.	बीकानेर	राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, (IASE) करनी स्टेडियम के सामने बीकानेर - 334001	2024		डॉ सुधीर रूपानी	0151-2543953, 09001024365 sudhirrupani@gmail.com iasbkkn@gmail.com
3.	जयपुर	एस.एस.जी.पारीक कॉलेज झोटवाड़ा रोड जयपुर - 302012	3096	डॉ सरोजिनी उपाध्याय	डॉ सुमित्रा आर्य	0141-2201300, ssgpareekpgcollege@yahoo.com
4.	जयपुर	एस.एस. जैन सुबोध महिला टी.टी. कॉलेज, बुधसिंह पुरा सांगानेर जयपुर - 302030	3097	डॉ यदुशर्मा	डॉ. रेनू अरोडा	0141-2791864, 9414773690 subodhtcollegejaipur@yahoo.com
5.	जोधपुर	मॉडल अध्ययन केंद्र, वी.एम.ओ.यू., 2/272-273 कुडीभक्तासनी, राजस्थान होउसिंग बोर्ड, जोधपुर- 342005	4000		निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र	0291-2730665, 09414024834 rcjdr@vmou.ac.in
6.	जोधपुर	श्री आर.एन.मेमोरियल महिला टी.टी. कॉलेज, सेक्टर-2, बासनी- प्रथम जोधपुर-342005	4034	डॉ अमिता स्वामी	डॉ नरेन्द्र सिंह भाटी	0291-2721293, 9352419570 srnmmttc@gmail.co.in dramitaswami@gmail.com
7.	कोटा	जवाहर लाल नेहरू पी.जी.टी.टी.कॉलेज, सकतपुरा, कोटा - 342008	5046	डॉ सुष्मा सिंह	डॉ सपना जोशी	0744-2371418, 9929418517 info@jnss.org singhsleo@gmail.com
8.	कोटा	मॉडल अध्ययन केंद्र, व.म.खु.वि. कोटा 324010	5000		निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र	0744-2473517 rckota@vmou.ac.in

9.	उदयपुर	राजस्थान महिला टी.टी. कॉलेज, गुलाब बाग के पास उदयपुर - 313001	6054	डॉ प्रभा बाजपेयी	डॉ बी.एम.दाधीच	0294-2523338, 9166177814 rmttc11@gmail.com
10.	भरतपुर	महाराजा सूजमल टी टी कॉलेज, पक्का बाग के पास , भरतपुर (राज.) 321001	7003	डॉ अनिल श्रीवास्ताव	डॉ रश्मि श्रीवास्ताव	05644-231576, 09414877640 msttcollege_btp21@rediffmail.com Anil7640srivastava@gmail.com

शिक्षा में स्नातक(बी.एड.) पाठ्यक्रम संरचना
Programme Structure of Bachelor of Education (B.Ed.)

BEDI Year							
Course Code (कोर्स कोड)	Title of the Course (शीर्षक कोर्स)	Nature of Course	Total Credit (कुल क्रेडिट)	Marks			Name of the Coordinator
				Full Marks	Weightage of Term End Examination	Weightage of Task/ Internal Assessment	
BED 101	Childhood and Growing Up (बचपन एवं विकास)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Anil Kumar Jain
BED 102	Contemporary India and Education (समकालीन भारत और शिक्षा)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Keerti Singh
BED 103	Language across the Curriculum (पाठ्यक्रम में भाषा)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Patanjali Mishra
BED 104	Understanding Disciplines and Subjects (अनुशासन एवं विषयों का अवबोध)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Akhilesh Kumar
BED 105	Reading and Reflecting on Texts (EPC) (मूल पाठों का पठन एवं उनकी मीमांसा)	Project (प्रोजेक्ट)	3	50	-	50	Dr. Keerti Singh
BED 106	Learning and Teaching (अधिगम एवं शिक्षण)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Anil Kumar Jain
BED 113	Assessment for Learning (अधिगम प्रक्रिया का आकलन)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Anil Kumar Jain
BED 114	Drama and Art in Education (EPC)(शिक्षा में अभिनय एवं कला)	Project (प्रोजेक्ट)	3	50	-	50	Dr. Akhilesh Kumar
(Select any one from BED - 107 to BED -112 & BED 131) कोई एक चयनित विषय BED - 107 to BED -112 & BED 131							
BED 107	Pedagogy of General Science (सामान्य विज्ञान का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Anil Kumar Jain
BED 108	Pedagogy of Mathematics (गणित का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Anil Kumar Jain
BED 109	Pedagogy of Social Science (सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Keerti Singh

BED 110	Pedagogy of Hindi (हिन्दी का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Keerti Singh
BED 111	Pedagogy of English (अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Patanjali Mishra
BED 112	Pedagogy of Sanskrit (संस्कृत का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Patanjali Mishra
BED 131	Pedagogy of Financial Accountancy (वित्तीय लेखांकन का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Anil Kumar Jain
<p>प्रथम वर्ष में</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र - 7 2. प्रोजेक्ट कार्य - 2 							

BED II Year

BED 115	Knowledge and Curriculum (ज्ञान एवं पाठ्यक्रम)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30	Dr. Anil Kumar Jain
BED116*	School Internship (विद्यालयीय प्रशिक्षण)	Practical (प्रायोगिक) एवं प्रोजेक्ट	12	250	70 ¼ k; ¼ x d फाइनल लेसन)	कुल 180 अंक [120 अंक (इंटरनशीप के 10 क्रिया कलापों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट + 60 अंक प्रेक्टिस टीचिंग लेसन)]	Dr. Anil Kumar Jain
BED 117	Gender, School and Society (जेंडर, विद्यालय एवं समाज)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Keerti Singh
BED 118	Creating an Inclusive School (समावेशित विद्यालय का निर्माण)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Akhilesh Kumar
BED 133	Critical Understanding of ICT (EPC)(सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समालोचनात्मक अवबोध)	Practical (प्रायोगिक)	3	50	-	50	Dr. Akhilesh Kumar
BED 134	Understanding the Self (EPC) (अवबोध-स्व)	Project (प्रोजेक्ट)	3	50	-	50	Dr. Patanjali Mishra

(Select any one from BED - 119 to BED -132)

कोई एक चयनित विषय BED - 119 to BED -132 (जो आपके स्नातक/ स्नातकोत्तर में रहा हो उसी विषय का चयन करें)

यदि आपके स्नातक/स्नातकोत्तर में रहा विषय निम्नलिखित सूची में नहीं हो तो BED 119 से BED 122 में से कोई एक विषय का चयन करें

BED 119	Vocational/Work Education (व्यावसायिक/ कार्य शिक्षा)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Akhilesh Kumar
BED 120	Health and Physical Education (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Keerti Singh
BED 121	Peace Education (शान्ति शिक्षा)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Keerti Singh
BED 122	Guidance and Counseling (निर्देशन एवं परामर्श)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Keerti Singh
BED 123	Pedagogy of Physics (भौतिकी का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Anil Kumar Jain

BED 124	Pedagogy of Chemistry (रसायनशास्त्र का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Akhilesh Kumar
BED 125	Pedagogy of Biology (जीवविज्ञान का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Akhilesh Kumar
BED 126	Pedagogy of Geography (भूगोल का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Patanjali Mishra
BED 127	Pedagogy of History (इतिहास का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Patanjali Mishra
BED 128	Pedagogy of Civics (नागरिकशास्त्र का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Keerti Singh
BED 129	Pedagogy of Economics (अर्थशास्त्र का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Patanjali Mishra
BED 130	Pedagogy of Home Science (गृहविज्ञान का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Keerti Singh
BED 132	Pedagogy of Business Organisation (व्यावसायिक संगठन का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15	Dr. Akhilesh Kumar

सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र	:	4
प्रायोगिक (कम्प्यूटर प्रायोगिक)	:	1
प्रायोगिक (फाइनल लेसन)	:	1
प्रोजेक्ट	:	1
शिक्षण अभ्यास	:	प्रथम शिक्षण विषय पर 18 पाठ जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने है। (36 अंक) द्वितीय शिक्षण विषय पर 12 पाठ जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने हैं। (24 अंक)

बी. एड. हेतु वैकल्पिक विषय

बी एड प्रथम वर्ष हेतु वैकल्पिक विषय: दिए गए किसी एक समूह में से अपने स्नातक के विषयों को ध्यान में रखते हुए कोई एक विषय चुनें:

Science with Bio (B.Sc.)	BED 107	Pedagogy of General Science सामान्य विज्ञान का शिक्षण शास्त्र
Mathematics (B.Sc./B.Tech) Science with Maths	BED 108	Pedagogy of Mathematics गणित का शिक्षण शास्त्र
Social Studies (B.A. Arts)	BED 109	Pedagogy of Social Science सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र
Languages B.A. with Language	BED 110	Pedagogy of Hindi हिन्दी का शिक्षण शास्त्र
	BED 111	Pedagogy of English अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र
	BED 112	Pedagogy of Sanskrit संस्कृत का शिक्षण शास्त्र
Commerce (B.Com)	BED 131	Pedagogy of Financial Accountancy (व्यावसायिक वित्तीय लेखांकन)

बी एड द्वितीय वर्ष हेतु वैकल्पिक विषय: अपने स्नातक/ स्नातकोत्तर के विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान, भाषा एवं कला तथा सामाजिक अध्ययन (जैसा भी लागू हो) के अनुसार कोई एक चुनें। ध्यान दें आपको सिर्फ एक वैकल्पिक विषय ही चुनना है | यदि BED 123 से BED 132 में आपका विषय उपलब्ध नहीं है तो आप BED 119 से 122 तक में किसी एक विषय का चयन करें। ऐसी स्थिति में आपको द्वितीय शिक्षण विषय के बारह पाठ आप द्वारा चयनित प्रथम शिक्षण विषय से ही कक्षा 9 से 12 में किसी एक कक्षा में पढ़ाने होंगे।

For Any Stream किसी भी विषय से संबंधित हो	BED 119	Vocational/Work Education व्यावसायिक/ कार्य शिक्षा
	BED 120	Health and Physical Education स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा
	BED 121	Peace Education शान्ति शिक्षा
	BED 122	Guidance and Counselling निर्देशन एवं परामर्श
Science विज्ञान	BED 123	Pedagogy of Physics भौतिकी का शिक्षण शास्त्र
	BED 124	Pedagogy of Chemistry रसायनशास्त्र का शिक्षण शास्त्र
	BED 125	Pedagogy of Biology जीवविज्ञान का शिक्षण शास्त्र
Language & Arts भाषा एवं कला	BED 126	Pedagogy of Geography भूगोल का शिक्षण शास्त्र
	BED 127	Pedagogy of History इतिहास का शिक्षण शास्त्र
	BED 128	Pedagogy of Civics नागरिकशास्त्र का शिक्षण शास्त्र
	BED 129	Pedagogy of Economics अर्थशास्त्र का शिक्षण शास्त्र
	BED 130	Pedagogy of Home Science गृहविज्ञान का शिक्षण शास्त्र
Commerce वाणिज्य	BED 132	(Pedagogy of Business Organization) (व्यावसायिक संगठन का शिक्षा शास्त्र)

संपर्क शिविर/कार्यशाला : चूँकि यह कार्यक्रम वार्षिक प्रणाली पर आधारित है, अतः NCTE के मानक के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम में पंजीकृत अभ्यर्थी को बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष (कुल दो वर्ष) में छः दिन (कुल बारह दिन) के कार्यशाला में अपने आवंटित अध्ययन केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। | NCTE मानदण्डानुसार इस कार्यशाला में शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा आपको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इस शिविर में आपके सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों के अध्यापन के साथ ही प्रायोगिक शिक्षण हेतु पाठ योजना निर्माण का अभ्यास भी कराया जाएगा। सम्पर्क शिविर स्थल तथा तिथि की सूचना आपको नियमानुसार विश्वविद्यालय के वेबसाइट /एस.एम्.एस. के माध्यम से दे दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष एक बार कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा | प्रत्येक वर्ष कार्यशाला 16 मई से 30 मई (ग्रीष्मकालीन अवकाश) के मध्य आयोजित किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी अपने निर्धारित कार्यशाला में अपनी शत-प्रतिशत उपस्थिति पूरा नहीं कर पाता है तो उसे डिफाल्टर शुल्क जमा कराकर, अगले वर्ष पूरी कार्यशाला पुनः करनी होगी |

सत्रीय कार्य: सत्रीय कार्य प्रत्येक सैद्धान्तिक विषय में होगा। प्रत्येक वर्ष के दौरान सत्रीय कार्य को पूर्ण करके सम्बंधित क्षेत्रीय केंद्र पर प्रतिवर्ष 15 मई तक जमा कराना होगा।

सत्रांत (मुख्य परीक्षा): चूंकि यह कार्यक्रम वार्षिक प्रणाली पर आधारित है अतः प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार दो वर्षों में कुल दो परीक्षा करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग (सत्रीय एवं सत्रांत) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 36% अंक सत्रीय एवं सत्रांत परीक्षा दोनों में अलग-अलग लाना अनिवार्य होगा, परन्तु सत्रीय एवं सत्रांत दोनों को मिलाकर 36% अंक लानेवाला अभ्यर्थी को ही उत्तीर्ण माना जाएगा।

उत्तीर्ण विद्यार्थियों को निम्नानुसार श्रेणी प्रदान की जायेगी-

I श्रेणी: 60 प्रतिशत एवं अधिक

II श्रेणी: 48 प्रतिशत एवं अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम

उत्तीर्ण: 36 प्रतिशत एवं अधिक लेकिन 48 प्रतिशत से कम

**बी.एड. का संभावित शैक्षणिक कलेण्डर
प्रथम वर्ष के लिए**

विवरण	संभावित माह एवं दिनांक
प्रथम वर्ष का सत्र प्रारम्भ	प्रति वर्ष अगस्त माह से
प्रथम वर्ष स्कोलर न. एवं क्षेत्रीय केंद्र निर्धारण	प्रथम वर्ष के मध्य अगस्त से मध्य सितम्बर
प्रथम वर्ष संपर्क शिविर	16 मई से 21 मई तक (ग्रीष्मकालीन अवकाश)
प्रथम वर्ष के प्रोजेक्ट कार्य (बी.एड. -105 एवं बी.एड. 114)	विद्यालयों में प्रोजेक्ट कार्य संबंधित गतिविधि करने का समय जनवरी माह
प्रथम वर्ष प्रोजेक्ट कार्य (बी.एड.- 105 और बी.एड. 114) "परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड़, कोटा" पर जमा करने की तिथि	बी.एड.-105 एवं बी.एड.-114 की प्रोजेक्ट फाइल cloth envelop में सील पैक करके रजिस्टर्ड पार्सल से "परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड़, कोटा — 324010 को 1 मई से 15 मई तक भेजें। रजिस्टर्ड पार्सल की रसीद अवश्य संभाल कर रखें। लिफाफे पर "बी.एड.-105 एवं बी.एड.-114 की प्रोजेक्ट फाइल बाह्य मूल्यांकन हेतु" अवश्य लिखें।
प्रथम वर्ष के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के सत्रीय कार्य क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करने की तिथि	30 अप्रैल से 15 मई
प्रथम वर्ष वार्षिक परीक्षा	संभवतः जून प्रथम सप्ताह से प्रारंभ
प्रथम वर्ष परीक्षा परिणाम (संभावित तिथि)	मध्य सितम्बर

**बी.एड. का संभावित शैक्षणिक कलेण्डर
द्वितीय वर्ष के लिए**

द्वितीय वर्ष प्रमोटी फार्म भरने की तिथि नोट : प्रथम वर्ष परीक्षा का परीक्षा परिणाम आये बिना या प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठे बिना भी द्वितीय वर्ष का प्रमोटी प्रवेश फार्म ऑन लाईन भरा जा सकता है , एवं निर्धारित शुल्क भी ऑन लाईन जमा करानी है।	अगस्त प्रथम सप्ताह से प्रारंभ जिन विद्यार्थियों ने द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें द्वितीय वर्ष से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेने दिया जायेगा एवं गेप आने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा। नोट: यू.जी.सी. निर्देशानुसार 31 अगस्त से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य है।
इन्टर्नशीप प्रोजेक्ट कार्य बी.एड.- 116 (120 अंक के विद्यालयी कार्य) एवं दोनों विषयों के शिक्षण अभ्यास कार्य (60 अंक)	सितम्बर प्रथम सप्ताह से दिसम्बर द्वितीय सप्ताह तक (विस्तृत विवरण संलग्न)
द्वितीय वर्ष संपर्क शिविर	23 मई से 28 मई (ग्रीष्मकालीन अवकाश)
द्वितीय वर्ष का प्रोजेक्ट कार्य (प्रश्न पत्र बी.एड.-134) विद्यालय में किया जाने वाला कार्य	जनवरी माह
द्वितीय वर्ष प्रोजेक्ट कार्य (बी.एड.-116 का क्रम संख्या 1 से 10 का विद्यालयी कार्य एवं बी.एड.-134)"परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड़, कोटा" पर जमा करने की तिथि	बी.एड.-116 एवं बी.एड.-134 की प्रोजेक्ट फाइल cloth envelop में सील पैक करके रजिस्टर्ड पार्सल से "परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड़, कोटा — 324010 को 1 मई से 15 मई तक भेजें। रजिस्टर्ड पार्सल की रसीद अवश्य संभाल कर रखें। लिफाफे पर "बी.एड.— बी.एड.-116 एवं बी.एड.-134 की प्रोजेक्ट फाइल बाह्य मूल्यांकन हेतु" अवश्य लिखें।

बी.एड.— 116 क्रम संख्या 11 एवं 12 के अन्तर्गत दोनों शिक्षण विषयों की टीचिंग प्रैक्टिस फाइल तथा उनके अंक (60 अंक) का सील बंद लिफाफा अध्ययन केन्द्र पर जमा करने की तिथि	जनवरी अंतिम सप्ताह से फरवरी प्रथम सप्ताह शाला प्रधान निर्धारित प्रारूप में प्रैक्टिस टीचिंग के अंक सील बन्द लिफाफे में मय बिल तथा कवरींग लेटर मय जावक क्रमांक के साथ संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर जहां विद्यार्थी पंजीकृत हैं, पर रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिशः पहुंचायें। इसकी एक प्रति विद्यालय में भी अवश्य रखें। जिन विद्यार्थियों के यह अंक संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर नहीं पहुंचे हैं उन्हें फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाले फाइनल लेशन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
फाइनल लेसन परीक्षा	फरवरी माह के तीसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह के मध्य
कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (प्रश्न पत्र बी.एड. 133)	द्वितीय सम्पर्क शिविर समाप्ति पर
द्वितीय वर्ष के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के सत्रीय कार्य क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करने की तिथि	30 अप्रैल से 15 मई
द्वितीय वर्ष वार्षिक परीक्षा	संभवतः जून प्रथम सप्ताह से प्रारंभ
द्वितीय वर्ष परीक्षा परिणाम (संभावित तिथि)	मध्य सितम्बर

महत्वपूर्ण निर्देश

1. प्रवेश फार्म भरते समय आप जो मोबाईल नं. रजिस्टर्ड कराते हैं उसे पूरी बी.एड. के दौरान नहीं बदले आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं SMS द्वारा इसी मोबाईल नं. पर प्राप्त होगी।
2. काउन्सलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सितम्बर माह तक आपको स्कॉलर नम्बर एवं क्षेत्रीय केन्द्र आवंटित होगा जिसकी पृथक से सूचना SMS द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्रदान की जायेगी। जैसे ही आपको स्कॉलर नं. प्राप्त होता है आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.vmou.ac.in के Home page पर जायें वहां दांयी और student one view लिखा होगा उस पर Click करें निम्न प्रकार का एक Box आएगा उसमें अपना स्कॉलर नम्बर भरें एवं Date of Birth भरें फिर submit करें आपको अपना Application फोटो सहित तथा आपके द्वारा फॉर्म में भरी गई सम्पूर्ण जानकारी दिखाई पड़ेगी। उस पर आपको सभी प्रश्न पत्रों के सत्रीय कार्य एवं सत्रीय कार्य एवं पाठ्यपुस्तके (SLM) भी दिखाई पड़ेगे। जब आपका परीक्षा परिणाम आएगा तब उसके अंक भी इसी पर दिखाई देंगे।

निर्देश:

1. विद्यार्थी अपने नाम या अपने स्कॉलर नंबर द्वारा अपनी प्रवेश स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. नाम द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी Search Scholar No. By Name पर क्लिक कर अपना पूरा नाम टाइप करके सबमिट बटन दबाये।
3. विद्यार्थी नीचे प्रदान सूची में अपना नाम चुने और स्कॉलर नंबर पर क्लिक कर सबमिट बटन दबाकर अपनी प्रवेश स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Enter Scholar No.

Date of Birth

Language

Search Scholar No. By Name

Your IP : 172.16.1.175

3. आपको पाठ्यपुस्तकें (SLM) डाक से पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण, वमखुवि,कोटा द्वारा आपके घर के पते पर भेजी जाएगी। यदि उसमें किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो आप student one view से डाउन लोड कर पढ़ाई कर सकते हैं।
4. सत्रीय कार्य आपको पृथक से नहीं भेजे या दिये जाएंगे। अतः इसी लिंक से डाउनलोड करें और समय से सत्रीय कार्य को पूर्ण करें। यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो सम्पर्क शिविर के दौरान आप उसका निवारण कर सकते हैं।
5. वह छात्र जो किसी भी कारण से प्रथम वर्ष की परीक्षा से वंचित रह जाते हैं या प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उनको भी द्वितीय वर्ष प्रमोटी फार्म आवश्यक रूप से भरना होगा | यह फार्म द्वितीय वर्ष के लगभग अगस्त/सितम्बर से ऑन लाइन ही भरा जाएगा | जिसके साथ ही वह द्वितीय वर्ष का शुल्क 26,880 रुपये अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बढ़ा हुआ शुल्क ऑन लाइन के माध्यम से ही जमा कराएंगे। | द्वितीय वर्ष का शुल्क एवं द्वितीय वर्ष प्रमोटी फार्म समय पर जमा नहीं कराने की अवस्था में बी.एड. के शेष रहे कार्य पूरे करना संभव नहीं होगा और इस अभाव में प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है।
6. वह छात्र जो किसी भी कारण से प्रथम वर्ष की परीक्षा से वंचित रह जाते हैं या प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, वह दिसम्बर माह में होने वाली परीक्षा के लिये निर्धारित समय में प्रति प्रश्न पत्र डिफाल्टर शुल्क online Form भर कर एवं शुल्क जमा कराकर परीक्षा में बैठ सकते हैं | ध्यान रहे कम्प्यूटर प्रेक्टिकल की डिफाल्टर परीक्षा दिसम्बर माह की परीक्षा के साथ नहीं होती है।
7. यदि किसी छात्र का प्रथम या द्वितीय वर्ष का संपर्क शिविर रह जाता है तो डिफाल्टर शुल्क प्रति शिविर (1000 रुपये) के साथ अगले साल डिफाल्टर विद्यार्थी के रूप में वह संपर्क शिविर में बैठ सकता है | लेकिन ध्यान रहे जब तक दोनों संपर्क शिविर पूरे नहीं होंगे परीक्षा परिणाम जारी नहीं होगा।
8. NCTE के नियमानुसार छात्र की संपर्क शिविर में शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है | यदि किसी शिविर में एक या दो दिन की अनुपस्थिति है तो भी अगले वर्ष पूरा शिविर डिफाल्टर के रूप में उपस्थित होना होगा।
9. यदि कोई छात्र नियत समय पर अपने सत्रीय कार्य जमा नहीं करा पाता है तो देरी से प्राप्त होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम अगली परीक्षा तक विलम्ब हो सकता है।
10. यदि कोई छात्र नियत समय पर अपने प्रोजेक्ट कार्य जमा नहीं करा पाता है तो डिफाल्टर शुल्क के साथ उसे वह बाद में जमा करने होंगे | जिससे उसका परीक्षा परिणाम में विलम्ब हो सकता है |

नोट:— डिफाल्टर विद्यार्थी हेतु विस्तृत निर्देश पृष्ठ संख्या 25—26 पर देखें।

11. द्वितीय वर्ष में आपको शिक्षण अभ्यास के दौरान प्रथम शिक्षण विषय में कक्षा 6 से 8 में 18 पाठ तथा द्वितीय शिक्षण विषय में कक्षा 9 से 10 में 12 पाठ पढ़ाने होंगे इस हेतु आप जिन माध्यमिक विद्यालयों में ये पाठ पढ़ाना चाहते हैं उनके शालाप्रधान के लेटर पैड पर निर्धारित प्रारूप में (संलग्न) मय हस्ताक्षर मोहर सहित स्वीकृति प्राप्त करें। क्षेत्रीय केन्द्र पर 15 अगस्त से 30 अगस्त तक जमा करायें जहां से आपको अनुमति पत्र जारी होगा। उसे प्राप्त कर शालाप्रधान को मानदेय प्रारूप के साथ सौंपें।

बी.एड. प्रथम वर्ष सत्रीय कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु आवश्यक निर्देश

1. B.Ed. 101,102,103,104,106, 113 एवं (B.Ed. 107 से 131 में से कोई एक) का सत्रीय कार्य प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से student one view में जाकर अपना स्कॉलर नम्बर एवं जन्म तिथि अंकित कर सब्मिट करें। ऐसा करने पर आपको अपना आवेदन पत्र नजर आयेगा। वहां से आपके विषय के सत्रीय कार्य प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लें। उनमें दिये गये प्रश्नों को निर्देशानुसार पाठ्यपुस्तक में से पढ़कर A- 4 साइज के कागज पर स्वयं की हस्तलिपि में तैयार करने हैं। उन्हें उसी सत्र में 1 मई से 15 मई के मध्य अपने क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कराने हैं। इसकी पावती अवश्य प्राप्त कर लें।

2. B.Ed. 105 एवं B.Ed. 114 दोनों प्रोजेक्ट कार्य हैं उसकी पाठ्यपुस्तक (Manual) जैसे ही आपको मिलती है उसमें लिखे हुए निर्देश एवं उदाहरण के अनुरूप आपको अपने विद्यालय में ये गतिविधियाँ करनी है। उसकी रिपोर्ट निर्देशानुसार बनानी है। और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित मय सील कराना है। जिसके प्रथम पृष्ठ पर प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र लगा हुआ हो कि यह कार्य आपने उनके विद्यालय में पूर्ण किया है। ये दोनों प्रोजेक्ट परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा 1 मई से 15 मई के मध्य भेजें जिनका बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।
3. प्रथम वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों की सैद्धान्तिक परीक्षा संभवतः जून प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगी।
4. पृष्ठ 18 पर दर्शाये प्रथम वर्ष कलेण्डर की पूर्णतया पालना करें।

बी.एड. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश

1. बी.एड. प्रथम वर्ष की परीक्षा हो जाने के पश्चात् बिना परीक्षा परिणाम आये भी आप द्वितीय वर्ष का प्रमोटी प्रवेश आवेदन द्वितीय वर्ष के जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त प्रथम सप्ताह में निर्धारित शुल्क रूपये 26880 अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बढ़ा हुआ शुल्क जो भी लागू हो निर्देशानुसार जमा कर अवश्य करें। यह आवेदन पत्र आप किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर भर सकते हैं। अन्यथा आपको इन्टरनशीप कार्य नहीं करने दिया जाएगा। यूजीसी निर्देशानुसार 31 अगस्त के पश्चात् कोई आन लाइन प्रवेश नहीं होंगे।
2. बी.एड. 116 इन्टरनशीप का कार्य द्वितीय वर्ष में सितम्बर से दिसम्बर माह तक करना है। (विस्तृत कलेण्डर विवरणिका में सलग्न है) (पृष्ठ 21 से 23)
3. द्वितीय वर्ष में B.Ed. 116 प्रश्न पत्र विद्यालयीय प्रशिक्षण (School Internship) का जिसमें विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य करने हैं एवं दोनों शिक्षण विषय के लेसन प्लान देने के विस्तृत निर्देश पढ़कर उसी अनुरूप अपना कार्य आरंभ करें। सभी प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य A-4 साइज के प्लेन पेपर या लाइनदार कागज पर ही बनाने हैं उस पर फाइल कवर भी उसी साइज का लगाये जो लेस से बंधा हो ताकि कागज निकले नहीं कागज निकल कर खो जाने की स्थिति में आपको शून्य अंक मिल सकता है।
4. B.Ed. 133 प्रश्नपत्र में आपकी कोई फाइल नहीं बनानी है इसकी प्रायोगिक परीक्षा द्वितीय सम्पर्क शिविर समाप्ति पर होगी।
5. B.Ed. 134 प्रश्नपत्र प्रायोगिक है जिसकी प्रोजेक्ट फाइल आपको पुस्तकें प्राप्त हो इसके पश्चात् इस प्रश्न पत्र से संबंधित विवरणिका में दिए हुए निर्देशों के अनुरूप ही बनानी है।
6. B.Ed. 115 ,117, 118 एवं (B.Ed. 119 से 132 में से कोई एक) सैद्धान्तिक प्रकृति के हैं इनके सत्रीय कार्य आपको पुस्तकें प्राप्त हो जाए उसके पश्चात् A-4 साइज कागज पर हस्तलिखित बनाने हैं जिन्हें आपको द्वितीय वर्ष के कलेण्डर में दी गई तिथि के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों पर जमा कराने हैं।
7. आंतरिक मूल्यांकन ,प्रोजेक्ट , लेसन -प्लान डायरी के कवर पेज के प्रारूप आपको साथ में दिये जा रहे हैं उन्हें भी डाउनलोड कर लें।
8. सभी प्रकार का आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य A-4 साइज के कागज पर स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना चाहिए। तथा उसे दिये गये cover page के प्रारूप अनुसार A-4 साइज का मोटा कागज का cover page लगाकर लैस द्वारा बंधा हुआ होना चाहिए। प्लास्टिक फाइल कवर एवं क्लिप का उपयोग नहीं करें, वह निकल जाती है और कागज बिखर जाते हैं। यदि आपने प्लास्टिक फाइल कवर एवं क्लिप का उपयोग किया और इसमें बंधे कागज बिखर जाने के उपरान्त इसका मूल्यांकन नहीं होगा तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. सभी प्रश्न पत्रों की द्वितीय वर्ष की सैद्धान्तिक परीक्षाएं संभवतः जून प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगी।

द्वितीय वर्ष में बी. एड. इन्टरनशीप (बी. एड. 116) सम्बंधित आवश्यक निर्देश

विद्यालयी प्रशिक्षण एक परिचय :

इन्टरनशीप शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है जिसके अन्तर्गत आपको प्रथम वर्ष में सत्र पर्यन्त जिन विद्यालयी गतिविधियों को जाना, शिक्षण कौशलों को समझा, उनके सैद्धान्तिक पक्षों का आत्मसात किया उन सत्र का समग्र विद्यालयी परिस्थितियों में स्वतंत्रता पूर्वक जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने का अवसर है। इसमें छात्रा अध्यापक पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में किसी विद्यालय में नियुक्त किया जाता है।

दूस्थ शिक्षा से बी.एड. करने वाले प्रशिक्षु स्वयं सेवारत अध्यापक होते हैं अतः उन्हें कहीं प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि वे स्वयं ही एस.टी.सी. की योग्यता प्राप्त किए हुए हैं अतः विद्यालय की शैक्षिक और सहशैक्षिक परिस्थितियों से अच्छी तरह से परिचित हैं। आप सब जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, उसी विद्यालय में यह 6 माह का स्कूल इन्टर्नशीप (विद्यालय प्रशिक्षण) का कार्यक्रम अग्रलिखित योजना के अनुसार पूरा करना है और प्रत्येक मद की निर्देशानुसार रिपोर्ट बनानी है। लेकिन ध्यान रहे यदि आप प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं तो यह इन्टर्नशीप कार्य अपने विद्यालय में न करके किसी उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय में जाकर पूरा करना होगा इस हेतु आपको अपने शाला प्रधान से विशेष अनुमति लेकर अतिरिक्त समय में निकट के किसी उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय में यह कार्य करें। आपको अपने पाठ भी वहीं देने हैं। यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 12 का है और आप प्राथमिक विभाग में पढ़ाते हैं तो आप उसी विद्यालय में उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाखा में अपने पाठ पढ़ा सकते हैं और वहीं आपको अपने इन्टर्नशीप का कार्य करना है।

विद्यालयी प्रशिक्षण के उद्देश्य :

छात्राध्यापकों को इस योग्य बनाना कि -

- 1- अध्यापन व्यवसाय की /व्यावसायिक दक्षताओं, अध्यापक प्राक्कथन, जिम्मेदारियों और कौशलों की जानकारी एक रिपोरेटर के रूप में प्रस्तुत कर सकें।
- 2- वे विद्यालय के विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पहचान सकें।
- 3- वे उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में सेवा देने हेतु अपने आप को तैयार कर सकें।
- 4- उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की सम्पूर्ण गतिविधियों का प्रबंधन एवं उनके संचालन की जानकारी प्राप्त हो सकें।
- 5- विद्यालय के अन्य अध्यापकों एवं साथी अध्यापकों के कौशलों का अवलोकन कर सकें।
- 6- विद्यालय के अध्यापकों द्वारा पर्येक्षण एवं प्रति पुष्टि से प्राप्त सुझावों के अनुरूप अपने आप में सुधार लाते हुए राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में सेवाएं देने हेतु अपने आप को तैयार कर सकें।

विद्यालयी प्रशिक्षण योजना :

विद्यालयी प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 क्रेडिट का है जिसके लिए आपको विद्यालय एवं समुदाय में न्यूनतम 15 सप्ताह कार्य करना है और निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कार्य एवं रिपोर्ट आप द्वितीय वर्ष के सितम्बर से दिसम्बर मध्य तक कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत 12 क्षेत्रों की गतिविधियां हैं जिसका निर्धारित समय और उसमें क्या करना है आगे के अध्यायों में इसका विस्तृत विवरण दिया जा रहा है।

नीचे दी गई सारणी का अवलोकन करें

क्र.सं	विद्यालयी प्रशिक्षण के मुख्य पद	प्रत्येक पक्ष से की जाने वाली गतिविधि	आवंटित समय	अंक भार
1	विद्यालयी अध्यापकों समुदाय के लोगों एवं विद्यार्थियों से अन्तःक्रिया आधारित रिपोर्ट	1. अध्यापकों से अन्तः क्रिया 2. समुदाय से अन्तःक्रिया 3. विद्यार्थियों से अन्तः क्रिया	एक सप्ताह (सितम्बर प्रथम सप्ताह)	12
2	गाँव/समुदाय के अवलोकन आधारित रिपोर्ट	किसी गाँव की सामाजिक भौतिक, आर्थिक संस्कृति शैक्षिक वातावरण अवलोकन आधारित विवरण तैयार करना	एक सप्ताह (सितम्बर द्वितीय सप्ताह)	12
3	विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट	विद्यालय के संगठन, दर्शन, मानवीय भौतिक संसाधन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, एवं भौगोलिक वातावरण आधारित अवलोकन रिपोर्ट	एक सप्ताह (सितम्बर तृतीय सप्ताह)	12
4	विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदार करते हुए रिपोर्ट तैयार करने	1. कक्षाओं के संचालन हेतु योजना 2. सभी प्रकार के रिकॉर्ड और फाइलों का संधारण 3. मिड डे मिल अथवा इसके समकक्ष चल रही गतिविधियों की योजना	दो सप्ताह (सितम्बर चतुर्थ एवं अक्टूबर प्रथम सप्ताह)	24

5	विद्यालय की सहशैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी एवं उस पर आधारित रिपोर्ट तैयार करना	1. प्रातः कालीन प्रार्थना सभा संचालन की योजना 2. जागरूकता कार्यक्रम की योजना 3. खेलकूद गतिविधियों की योजना एवं भागीदारी 4. सांस्कृतिक गतिविधियों की योजना एवं भागीदारी (ड्रामा, वाद विवाद, गीत, संगीत, क्विज एन सीसी, एनएसएस, स्काउट गाईड, कैम्प इत्यादि)	दो सप्ताह (अक्टूबर द्वितीय एवं तृतीयसप्ताह)	24
6	कक्षा कक्ष के अवलोकन रिपोर्ट	विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक शैक्षिक प्रोफाईल तैयार करना उनकी भौतिक, मानसिक, संवेगात्मक आश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए। इसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम विषयवस्तु की गुणवत्ता, आंकलन शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को भी सम्मिलित करना है।	एक सप्ताह (नवम्बर प्रथम सप्ताह)	12 अंक
7	विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का आंकलन और उसी अनुरूप व्यूह रचनाओं का निर्माण	1 शिक्षण का आंकलन 2 शैक्षिक क्षेत्र में अधिगम का आंकलन 3 सह शैक्षिक क्षेत्र में अधिगम का आंकलन	एक सप्ताह (नवम्बर द्वितीय सप्ताह)	12 अंक
8	सहपाठी अवलोकन	छात्राध्यापक के शिक्षण का उन्ही के साथियों द्वारा अवलोकन एवं रिपोर्ट तैयार करना	प्रथम शिक्षण अभ्यास के दौरान नवम्बर माह में	12 अंक
9	अध्यापक अवलोकन रिपोर्ट	छात्राध्यापक के शिक्षण का उसके मेण्टर शिक्षक द्वारा किये गये अवलोकन की रिपोर्ट		
10	अध्यापक के पाठ का विद्यालय के अन्य साथी अध्यापकों द्वारा अवलोकन	छात्राध्यापक के मेण्टर के अलावा विद्यालय के अन्य किसी अध्यापक द्वारा पाठ का अवलोकन		
11	प्रथम ब्लॉक शिक्षण अभ्यास निर्मितवादी उपागम का उपयोग करते हुए उच्च प्राथमिक कक्षाओं का शिक्षण	आपके द्वारा चयन किये गये प्रथम शिक्षण विषय में से 18 पाठों का शिक्षण (एक पाठ अर्थात् एक दिन का विद्यालयी कालांश)	तीन सप्ताह (नवम्बर तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सप्ताह)	36 अंक
12	द्वितीय ब्लॉक शिक्षण निर्मितवादी उपागम का उपयोग करते हुए	आपके द्वारा चयन किये गये द्वितीय शिक्षण विषय में से 12 पाठों का शिक्षण (एक पाठ अर्थात् एक दिन का विद्यालयी कालांश) यदि आपका द्वितीय शिक्षण विषय बी.एड. 119 से 122 में से कोई एक है तो आपको द्वितीय शिक्षण विषय हेतु निर्धारित 12 पाठ प्रथम शिक्षण विषय की इकाइयों में से चयन करके कक्षा 9 अथवा 10 में पढ़ाने होंगे।	दो सप्ताह (दिसम्बर प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह)	24 अंक
13	फाइनल लेसन	फाइनल लेसन - प्रथम शिक्षण विषय (कक्षा 6 से 8) में किसी एक कक्षा हेतु एक पाठ का प्रदर्शन जिसका आन्तरिक एवं ब्राह्म परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	बी.एड. द्वितीय वर्ष के फरवरी माह में फाइनल लेसन संभावित	70 अंक

नोट :-

1. उक्त चार्ट में इंटरमीडियेट के दसों कार्यों की आवंटित समय अनुमानित है यदि इन दिनों में विद्यालय में कोई राजकीय अवकाश घोषित होते हैं तो उतने ही दिन यह कार्य आगे के सप्ताह/माह में बढ़ाया जा सकता है।
2. क्र. सं. 1 से 10 तक की दस छोटी छोटी रिपोर्ट बनेगी जिसे एक साथ स्पाइरल बाइंड कराके अपने शाला प्रधान से प्रति हस्ताक्षरित कराकर कलेण्डर में दी गयी तिथि एवं स्थान पर निर्देश के अनुसार जमा करानी है। यह दसों रिपोर्ट का एक प्रोजेक्ट कार्य 120 अंक का है।

जिसका बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय के बाह्य परीक्षकों के द्वारा किया जायेगा। इन दसों कार्यों को करने की विस्तृत जानकारी बी.एड. 116 पुस्तिका में उपलब्ध होगी।

क्रम संख्या 11, 12 दोनों शिक्षण विषयों की प्रेक्टिस टीचिंग से संबंधित है जिनका पूर्णांक क्रमशः 36 और 24 है। इन दोनों शिक्षण विषयों की पाठ योजना फाइल आपको बनानी है और प्रत्येक को विद्यालय के मेंटर / पर्यवेक्षक द्वारा रिमार्क लगवाने हैं। दोनों पर्यवेक्षकों के द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिये गये अंक प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रेषित कर मय मानदेय बिल क्वारिंग लेटर जिस पर आवक जावक क्रमांक हो सील बन्द लिफाफे में निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र को फरवरी प्रथम सप्ताह में रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेगें अथवा आप स्वयं यह लिफाफा लेकर क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करायेंगे। साथ ही दोनों प्रेक्टिस टीचिंग फाइल भी वही जमा करायेंगे।

द्वितीय वर्ष प्रेक्टिस टीचिंग हेतु निर्देश

(बी.एड. 116 क्र.सं. 11 से 12) पूर्णांक 60 अंक

1. लेसन प्लान डायरी (18 लेसन प्रथम शिक्षण विषय, 12 लेसन द्वितीय शिक्षण विषय) A-4 साइज के कागज के आकार की ही बनानी है। जिसका कवर पेज प्रारूप आपको साथ में दिये जा रहा है उन्हें भी डाउनलोड कर लें। दोनों लेसन प्लान डायरी के लेसन आपके मेण्टर द्वारा जांचे हुए होने चाहिए। उस पर मेण्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए एवं डायरी मुख्य पृष्ठ पर शाला प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण होनी चाहिए। दोनों शिक्षण विषयों के लेसन पूर्ण हो जाए उसके पश्चात् दोनों डायरियां जनवरी अंतिम सप्ताह से फरवरी प्रथम सप्ताह तक संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करानी होंगी। मेण्टर/पर्यवेक्षक उसी विद्यालय के अध्यापक का चयन करें जहां आप यह पाठ पढ़ायेंगे।
2. उक्त दोनों शिक्षण विषयों के पाठ आपको अपने निकट के किसी माध्यमिक विद्यालय में देने हैं। उस विद्यालय के शाला प्रधान से उनके लेटर पेड पर निर्धारित प्रारूप में (संलग्न पृष्ठ संख्या 31) स्वीकृति लेकर आपको अपने क्षेत्रीय केन्द्र पर व्यक्तिशः/डाक द्वारा जमा करानी है। उस पत्र में आपके दोनों शिक्षण विषयों के पर्यवेक्षण करने वाले मेण्टर/पर्यवेक्षकों का नाम भी भेजें। द्वितीय वर्ष का प्रमोटी प्रवेश लेने के तुरन्त पश्चात् अर्थात् 15 अगस्त से 15 सितम्बर के मध्य यह पत्र जमा कराना है। उस स्वीकृति के आधार पर निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र उस शाला प्रधान के नाम एक स्वीकृति पत्र जारी करेंगे तथा साथ में मानदेय बिल का प्रारूप भी देंगे। इस आप व्यक्तिशः प्राप्त करेंगे तो बेहतर रहेगा। (प्रारूप पृष्ठ संख्या 32 से 35)। प्रत्येक विद्यार्थी के पाठों की योजना बनाने, उन्हें जांचने तथा कक्षा में पाठों का निरीक्षण कर टिप्पणी लिखने के लिए तथा अन्य प्रोजेक्ट कार्य हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति निम्न वरीयता में से कोई एक को दृष्टिगत रखते हुए करें।
 - (अ) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विद्यालय में संबंधित विषय का अध्यापक
 - (ब) संबंधित विषय का एम.ए./एम.कॉम/एमएससी तथा एमएड अध्यापक
 - (स) संबंधित विषय में स्कूल शिक्षा में व्याख्याता संबंधित विषय का एम.ए./एम. कॉम/एमएससी तथा एम.एड. अध्यापक एवं पाँच वर्षों का माध्यमिक शाला में अध्यापन अनुभव
 - (द) संबंधित विषय का बी.ए./बी.कॉम/बीएससी तथा बी.एड. अध्यापक एवं 10 वर्षों का माध्यमिक शाला/उच्च प्राथमिक शाला में अध्यापन अनुभव
3. जिन विद्यार्थियों ने द्वितीय शिक्षण विषय के रूप में B.Ed -119, B.Ed. - 120, B.Ed. - 121 एवं B.Ed. - 122 में से कोई एक लिया है और चूकि ये विद्यायी शिक्षण विषय नहीं है अतः इनकी पाठ योजनाएं बनाना संभव नहीं है। अतः ऐसे विद्यार्थियों को द्वितीय शिक्षण विषय के 12 पाठ पढ़ाने हेतु अपने प्रथम वर्ष के चयनित शिक्षण विषय में से ही किन्हीं प्रकरणों का चयन कर कक्षा 9 अथवा 10 के शिक्षण हेतु पाठ बनाकर पढ़ाना है।
4. शाला प्रधान निर्धारित प्रारूप में प्रेक्टिस टीचिंग के अंक सील बन्द लिफाफे में मय बिल रजिस्टर्ड डाक से संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर जहां विद्यार्थी पंजीकृत हैं, पर रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिशः पहुंचायें। इसकी एक प्रति विद्यालय में भी अवश्य रखें। जिन विद्यार्थियों के यह अंक संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर नहीं पहुंचे है उन्हें फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाले फाइनल लेसन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। पाठ योजनाओं में कभी भी शत प्रतिशत अंक नहीं आ सकते। अतः किसी विद्यार्थी के ऐसा पाया गया तो उस पर कार्यवाही होगी, और उसे सभी लेसन वापस देने होंगे।

बी.एड. फाइनल लेसन हेतु विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निर्देश

1. जिन विद्यार्थियों ने बी .एड.116 इन्टर्नशीप कार्य के अन्तर्गत प्रथम शिक्षण विषय के कुल 18 पाठ (पूर्णांक 36 अंक) द्वितीय शिक्षण विषय के कुल 12 पाठ (पूर्णांक 24 अंक) अग्रेषित कराके लेसन डायरियां क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कर दी हो तथा दोनों विषयों के अंक सील बंद लिफाफे में प्रधानाध्यापक के द्वारा अग्रेषित पत्र के साथ क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कर दिया हो उन्हें ही फाइनल लेसन के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
2. जिन विद्यार्थियों ने बी .एड.116 इन्टर्नशीप कार्य के अन्तर्गत विद्यालयी गतिविधियों का 120 अंक का कार्य विद्यालयों में करके प्रधानाध्यापक से अग्रेषित कराके प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल तैयार कर ली है उनको कलेण्डर में दी गयी तिथि एवं निर्देश के अनुसार जमा करानी है।
3. यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल आपको बाह्य मूल्यांकन हेतु परीक्षा नियंत्रक वमखुवि कोटा को रजिस्टर्ड डाक से 1 मई से 15 मई के मध्य भेजनी होगी।
4. जिन विद्यार्थियों ने द्वितीय शिक्षण विषय के रूप में B.Ed.-119, B.Ed.-120, B.Ed.-121 एवं B.Ed.- 122 लिया है और चूंकि ये विद्यालय शिक्षण विषय नहीं है अतः उन्हें प्रथम वर्ष के लिए चयनित शिक्षण विषय में ही कक्षा 9 अथवा 10 के 12 पाठ पढ़ाने की इजाजत है। अतः वह फाइनल लेसन द्वितीय शिक्षण विषय की डायरी में प्रथम शिक्षण विषय के ही किसी अन्य प्रकरण पर कक्षा 9 अथवा 10 का पाठ बना कर पढ़ा सकते हैं।
5. विद्यार्थी को फाइनल लेसन हेतु दोनों विषय की पाठ योजना बनानी है। पाठ योजना हेतु A-4 साइज के पृष्ठ काम लें। उसका कवर पेज दिये गये प्रारूप के अनुरूप A-4 साइज पर प्रिंट निकालकर उस पर लगायें यह पाठ योजना डायरी A-4 साइज की लैस वाली फाइल लगायें ताकि पृष्ठ अलग न हों।
6. फाइनल लेसन प्रथम शिक्षण विषय का होगा यदि परीक्षकों के पैनल ने पाठ रीपीट करने को कहा तो दूसरे शिक्षण विषय पर पाठ होगा। अतः विद्यार्थियों को दोनों विषयों के पाठ बना कर लाने हैं, और दोनों की तैयारी करके आना है यह फाइनल लेसन 70 अंक का है।
7. फाइनल लेसन के दिन अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध विद्यार्थियों की सूची में हस्ताक्षर अवश्य करें।

डिफाल्टर विद्यार्थियों के लिए निर्देश

बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरान्त प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष की परीक्षा होने के पश्चात् विद्यार्थी पिछले वर्ष के किसी घटक को नहीं कर पाता है तो अगले वर्ष वह उस घटक के लिए डिफाल्टर के रूप में परीक्षा देने के लिए पात्र माना जाता है।

1. **सम्पर्क शिविर डिफाल्टर:-** बी.एड. कार्यक्रम के सम्पर्क शिविर NCTE मानदण्डानुसार प्रतिवर्ष गीष्मावकाश मई माह में ही आयोजित होते हैं जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष अनिवार्यतः शत प्रतिशत उपस्थित होना अनिवार्य होता है। प्रथम वर्ष 16 मई से 21 मई, द्वितीय वर्ष 23 मई से 28 मई तिथि निश्चित है। इन सम्पर्क शिविर को अनिवार्य गतिविधि के रूप में करना है। इस हेतु डिफाल्टर विद्यार्थी 1000/- का चालान आरियण्टल बैंक आफ कामर्स में जमा कराकर संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र से सम्पर्क शिविर आरम्भ होने से पूर्व अनुमति जारी करवा के अध्ययन केन्द्र पर पहुंच कर सम्पर्क शिविर में भाग लेगा।
2. **बी.एड. 133 ICT प्रश्न पत्र (प्रायोगिक) डिफाल्टर:-** चूंकि यह परीक्षा द्वितीय वर्ष के सम्पर्क शिविर की समाप्ति के उपरान्त अगले दिन 29 मई को ही आयोजित होना संभव है। अतः विद्यार्थी को प्रति वर्ष अप्रैल माह में आन लाइन पोर्टल पर 1000/- शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। तभी विद्यार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। बी.एड. 133 प्रश्न पत्र का आन लाइन पोर्टल दिसम्बर परीक्षा में खुला हो तो भी आवेदन नहीं करें। क्योंकि इसकी परीक्षा मई माह में अध्ययन केन्द्र पर ही होती है। अलग से परीक्षा शहर का चयन नहीं करें।

3 (a) **ईण्टर्नशीप बी.एड. 116 PJ डिफाल्टर:-** ईण्टर्नशीप की गतिविधि क्रम संख्या 1 से 10 विद्यालयों में आयोजित की जाती है। जिसकी प्रोजेक्ट फाईल बनाकर विद्यार्थी डाक द्वारा परीक्षा नियंत्रक को बाह्य मूल्यांकन हेतु भेजता है। इसके लिए 200/- डिफाल्टर शुल्क निर्धारित है। विद्यार्थी को अक्टूबर माह में आन लाइन पोर्टल पर बी.एड. 116 PJ कोड पर 200/- रूपये जमा कराना होगा। तभी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होगा। यद्यपि वह अपनी विद्यालयी गतिविधि प्रमोटी फार्म भरने के पश्चात् 1 सितम्बर से प्रारम्भ कर सकता है। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी उसे जनवरी माह में परीक्षा नियंत्रक को डाक के द्वारा भिजवायें।

(b) **बी.एड. ईण्टर्नशीप (पेपर कोड BED 116 PT) डिफाल्टर:-** ईण्टर्नशीप की गतिविधि क्रम संख्या 11 एवं 12 प्रेक्टिस टीचिंग से संबंधित है। विद्यार्थी विद्यालयों में प्रथम शिक्षण विषय के 18 एवं द्वितीय शिक्षण विषय के 12 कुल 30 पाठ विद्यालय में पढ़ायेगे। इस गतिविधि का कोड BED 116 PT है। अतः विद्यार्थी अक्टूबर माह में आन लाइन पोर्टल पर BED116 PT कोड पर 1000/- रूपये डिफाल्टर शुल्क जमा करायेगा। तभी यह गतिविधि मान्य होगी तथा प्रधानाध्यपक द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र निदेशक को अग्रेषित 60 अंक परीक्षा रिकार्ड में इन्द्राज होंगे। इसे दिसम्बर परीक्षा के लिए इन्द्राज किया जाएगा।

(c) **फाइनल लेसन (पेपर कोड BED 116F) डिफाल्टर:-** चूंकि यह परीक्षा फरवरी द्वितीय सप्ताह से मार्च माह तक अध्ययन केन्द्रों पर ही आयोजित की जाती है। इसमें भी परीक्षा शहर बदलने का प्रावधान नहीं है। अतः डिफाल्टर विद्यार्थी को इस हेतु अक्टूबर माह में आन लाइन पोर्टल पर पेपर कोड BED116F पर 1000/- जमा कराने होंगे, तभी इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। इस परीक्षा के अंक परीक्षा विभाग के रिकार्ड में दिसम्बर परीक्षा के रूप में इन्द्राज किए जाएंगे। फाइनल लेसन के लिए अलग से शहर का चुनने का प्रावधान नहीं है।

4. **सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के डिफाल्टर :-** पिछले सत्र की सैद्धान्तिक परीक्षा के किसी प्रश्न पत्र में परीक्षा नहीं दे पाये हों या अनुत्तीर्ण हो गये हों तो उसे अगले सत्र में दो बार दिसम्बर के साथ अथवा जून परीक्षा के साथ दिया जा सकता है। जिनके आन लाइन परीक्षा आवेदन मय शुल्क क्रमशः अक्टूबर माह अथवा अप्रैल माह में भर कर ही परीक्षा में बैठा जा सकता है।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय जावक क्रमांक: -----

दिनांक: -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती -----

पुत्र श्री/पुत्री श्री -----विद्यालय का नाम -----

----- में दिनांक ----- से लगातार वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक (सहायक अध्यापक) पद पर स्थायी/ अस्थायी /परिविक्षा पर कार्यरत हैं। जो विद्यालय में कक्षा 1 से 5 / कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं। ये वेतन श्रृंखला में कुल मासिक वेतन रूपये प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय रूपये प्राप्त कर रहे हैं/करेंगे।

निम्नलिखित में से जो भी आपकी संस्था पर लागू हो उसके सामने (✓) सही का निशान लगायें। एवं आवश्यक जानकारी भरे।

1. यह विद्यालय राजकीय विद्यालय है जो राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। ()
अथवा

2. यह विद्यालय गैर राजकीय विद्यालय है जो राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ()
मान्यता प्राप्ति का वर्ष क्रमांक-----, -----, -----, दिनांक-----

मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ की उपर्युक्त विवरण सही है।

जि.शि.अ.कार्यालय जावक क्रमांक: -----

दिनांक: -----

प्रतिहस्ताक्षर *

जिला शिक्षाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी (मय सील)
(पूरा नाम)

हस्ताक्षर

संस्थाप्रधान (मय सील)
(पूरा नाम)

* राजस्थान राज्य के गैर राजकीय विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के राजकीय अथवा गैर राजकीय दोनों प्रकार के विद्यालयों के अभ्यर्थी प्रति हस्ताक्षर करवायें।

नोट -

1. आवेदनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रवेश फार्म भरते समय एवं काउन्सलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढा रहा हो। तथा पूरी बी.एड. के दौरान भी अध्यापक रहना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय को जो भी सूचना चाहिए वो प्रारूप में दी गई है। यदि संलग्न प्रारूप में ही हस्ताक्षर नहीं हुए तो विश्वविद्यालय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को अनुपयुक्तमान कर अस्वीकार कर सकता है।
3. विवाहित महिला अभ्यर्थी का विवाह के पश्चात नाम/सर नेम बदला हो तो काउन्सलिंग के समय गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें अथवा राज्य सरकार में यदि आपके बदले हुए नाम से नियुक्ति हुई हो तो वह नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करें।
4. अभ्यर्थी इस अनुभव प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें तथा प्री. बी.एड. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रवेश काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें। अनुभव प्रमाण पत्र मूल हस्ताक्षर किया हुआ ही प्रस्तुत करें। तथा काउन्सलिंग के समय नया अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर भी लायें।
5. यदि एक से अधिक विद्यालयों में कार्यरत रहे हो तो और आप चाहे तो उन सबके अलग से प्रमाण पत्र बनवाकर संलग्न कर सकते हैं।
6. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(शिक्षा विद्यापीठ)

घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री

केटेगरी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेशार्थी हूँ। मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु दी गयी सूचनाएं एवं दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं। प्रवेश के समय या प्रवेश के बाद किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि बी.एड. में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी दी गयी है या कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए एवं फीस जब्त कर ली जाय। इस संदर्भ में सारी जवाबदेही मेरी होगी। बी.एड. से संबंधित विश्वविद्यालय एवं NCTE द्वारा निर्धारित किए गए सभी नियम मान्य होंगे।

भवदीय

(विद्यार्थी के हस्ताक्षर)

बी.एड. प्रवेश परीक्षा रोल नंबर

पता.....

.....

.....

मोबाईल नम्बर.....

**राजस्थान राज्य से बाहर के राज्यों में अध्यापन कर रहे आवेदकों के लिये
शपथ पत्र**

मैं.....पुत्र/पुत्रीश्री.....

उम्र.....निवासी.....शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान जिसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य में ही समित है, के बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश लेकर इसकी निम्नलिखित गतिविधियों को राजस्थान राज्य में पूरा करूंगा

1. राजस्थान राज्य स्थित व. म. खु.वि., कोटा के 7 क्षेत्रीय केन्द्रों में से किसी भी एक क्षेत्रीय केन्द्र एवं उसके अन्तर्गत आने वाले एक अध्ययन केन्द्र का चयन ।
2. उसी अध्ययन केन्द्र पर प्रतिवर्ष होने वाली परामर्श कक्षाओं, सम्पर्क शिविर में भाग लेना।
3. 6 माह का इन्टर्नशीप जिसके अन्तर्गत विद्यालयी गतिविधियाँ दोनों शिक्षण विषयों की प्रेक्टिस टीचिंग उसी क्षेत्रीय केन्द्र के क्षेत्र में आने वाले किसी राजकीय विद्यालय में पूरी करूंगा। उस राजकीय विद्यालय की स्वीकृति भी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय केन्द्र आवंटित होते ही 7 दिन में प्रस्तुत कर दूंगा।
4. सभी सत्रीय कार्य, प्रोजेक्ट कार्य राजस्थान के ही विद्यालयों में सम्पन्न करूंगा।
5. प्रतिवर्ष होने वाली सैद्धान्तिक वार्षिक परीक्षा राजस्थान राज्य स्थित परीक्षा केन्द्र पर दूंगा।
6. बी.एड. के लिए होने वाली कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा फाइनल लेसन भी राजस्थान राज्य स्थित विद्यालय में ही दूंगा।

उपरोक्त के साथ—साथ अन्य कोई भी बी.एड. संबंधित गतिविधि जो किसी भी समय निर्धारित होती है मैं समय पर उसे राजस्थान राज्य में ही पूरा करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो विवविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने एवं फीस जब्त करने का अधिकार होगा ।

हस्ताक्षर

नाम

बी.एड.प्रवेश परीक्षा रोल नंबर

मोबाईल

पता

.....

नोट :— उक्त शपथ पत्र 100/— रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर प्रस्तुत करें।

प्रतिरक्षा कर्मचारी स्वयं के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाण पत्र

क्रमांक:

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती एक प्रतिरक्षा कर्मचारी/अधिकारी है जिनका रैंक है तथा नम्बर है जो कि सक्रिय सेवारत हैं अथवा सक्रिय सेवारत थे अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

यूनिट मेजर/आफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का पूरा नाम

कार्यालय, राजकीय

क्रमांक :

दिनांक

निदेशक

क्षेत्रीय केन्द्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

.....

विषय :- बी.एड. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी की प्रेक्टिस टीचिंग हेतु अनुमति बाबत

महोदय,

विषयान्तर्गत श्री (बी.एड. विद्यार्थी का नाम) स्कॉलर नम्बर को इस विद्यालय में प्रथम शिक्षण विषय (विषय का नाम) तथा द्वितीय शिक्षण विषय (विषय का नाम) के क्रमशः 18 एवं 12 पाठ के शिक्षण हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रथम शिक्षण विषय अभ्यास हेतु इस विद्यालय के शिक्षक (शिक्षक का नाम) श्री तथा द्वितीय शिक्षण विषय अभ्यास हेतु शिक्षक (शिक्षक का नाम) श्री पर्यवेक्षक होंगे। कृपया निर्धारित प्रारूप में अनुमति पत्र जारी करने का कष्ट करें

भवदीय

()
शाला प्रधान के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट :- विद्यार्थी उपरोक्त प्रारूप में शाला प्रधान से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर अपने क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करायें। निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र से शाला प्रधान के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रेक्टिस टीचिंग हेतु अनुमति पत्र प्राप्त करें।



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, ----

क्रमांक: वमखुवि/क्षे.के.--/अभ्यास पाठ

दिनांक:

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

नाम छात्र:

.....

स्कालर नं
.....
.....

विषय: बी.एड. सत्र के छात्रों के अभ्यास पाठों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यह विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के हितार्थ बी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है जिसमें आपके सहयोग और सेवाओं की आवश्यकता है। बी.एड. प्रशिक्षण से संबंधित अध्यापकों को उनके द्वारा चुने हुए दो विषयों में 18-12 पाठों का शिक्षण अभ्यास अर्थात् कुल 30 पाठ देने होते हैं, जिसके बारे में ध्यान में रखते हुए यह कार्य नवम्बर सन 20.... प्रथम सप्ताह से आरम्भ कर फरवरी सन 20.... द्वितीय सप्ताह के अन्त तक पूर्ण कराने का श्रम करें तथा इण्टर्नशीप कार्यक्रम में विद्यालयी गतिविधियों संबंधी अवलोकन एवं दत्त संकलन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

1. प्रत्येक विद्यार्थी के पाठों की योजना बनाने, उन्हें जांचने तथा कक्षा में पाठों का निरीक्षण कर टिप्पणी लिखने के लिए तथा अन्य प्रोजेक्ट कार्य हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति निम्न वरीयता में से कोई एक को दृष्टिगत रखते हुए करें।
 - (अ) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विद्यालय में संबंधित विषय का अध्यापक
 - (ब) संबंधित विषय का एम.ए./एम.कॉम/एमएससी तथा एमएड अध्यापक
 - (स) संबंधित विषय में स्कूल शिक्षा में व्याख्याता संबंधित विषय का एम.ए./एम. कॉम/एमएससी तथा एम.एड. अध्यापक एवं पाँच वर्षों का माध्यमिक शाला में अध्यापन अनुभव
 - (द) संबंधित विषय का बी.ए./बी.कॉम/बीएससी तथा बी.एड. अध्यापक एवं 10 वर्षों का माध्यमिक शाला/उच्च प्राथमिक शाला में अध्यापन अनुभव
2. प्रतिदिन केवल एक पाठ की व्यवस्था की जा सकती है। यदि कार्य दिवस कम पड़े तो एक दिन में दो पाठ अलग अलग कालांशों में दिये जा सकते हैं।
3. प्रथम शिक्षण विषय कक्षा 06 से 08 तक तथा द्वितीय शिक्षण विषय कक्षा 9 से 12 में पढ़ाये जा सकते हैं।
4. अध्ययन केन्द्र, पर तैयार करवाये गये पाठों के आधार पर संबंधित विषयों में 18-12 पाठ योजनाएं तैयार की जाकर पढ़ाई जायें।
5. कक्षा में निरीक्षण के समय पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन निर्देश लिखते हुए टिप्पणी अंकित करें।

6. पाठों की समाप्ति पर अभ्यास पाठों के अंक भी प्रदान करने है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

a. प्रथम शिक्षण विषय के 18 पाठों के लिए 36 अंकों में से (प्रति पाठ 2 अंक)

b. द्वितीय शिक्षण विषय के 12 पाठों के लिए 24 अंकों में से (प्रति पाठ 2 अंक)

अभ्यास पाठों की समाप्ति पर पर्यवेक्षक द्वारा संलग्न प्रपत्र संख्या 'अ' में अंक प्रदान करने है। इस प्रपत्र पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर तथा संस्था प्रधान के मोहर युक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक है। कृपया अंको एवं पारिश्रमिक बिल की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

7. छात्रों को प्रदत्त अंको को गोपनीय लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक द्वारा शाला प्रधान को ही, क्षेत्रीय कार्यालय में भिजवानी है।

8. वित्तीय व्यवस्था: आपकी इन महत्वपूर्ण सेवाओं को किसी पारिश्रमिक राशि से तौला नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था विश्वविद्यालय नियमानुसार है, वह निम्न प्रकार है -

a. प्रत्येक विद्यार्थी के दोनों विषयों के क्रमशः 18-12 कुल 30 पाठों के लिए पर्यवेक्षण कार्य के उपलक्ष्य में 20 रुपये प्रति पाठ देय होंगे। यदि दोनों पर्यवेक्षक अलग-अलग विषय के हैं तो प्रथम पर्यवेक्षक को $18 \times 20 = 360/-$ तथा द्वितीय पर्यवेक्षक को $12 \times 20 = 240/-$ देय होगा।

b. शाला प्रधान को 150 रूपए प्रति विद्यार्थी की दर से देय होगा।

c. पारिश्रमिक बिल दो प्रतियों में भिजवायें अन्यथा बिल पारित करना संभव नहीं होगा।

d. क्षेत्रीय केन्द्र के साथ पत्र व्यवहार, अंक सूची, बिल, पाठ अभ्यास डायरियां आदि भेजने का वास्तविक डाक व्यय की प्रमाणित मूल रसीद संलग्न कर प्रपत्र संख्या 'अ' में बनाकर क्षेत्रीय केन्द्र, पर किसी व्यक्ति/वाहक के साथ सीलड लिफाफे में भेज सकते हैं, लेकिन इस कार्य हेतु यात्रा व्यय आदि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा।

महत्वपूर्ण: अंको की सूची प्रारूप 'अ' में (दो प्रति में) एवं पारिश्रमिक-डाक व्यय आदि बिल प्रारूप 'ब' में (दो प्रतियों में) दोनों एक लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवायें। इन्हें पाठ अभ्यास की डायरियों के पार्सल/पैकेट में रखकर न भेंजे। अंक सूची, बिल प्रपत्र व पाठ अभ्यास डायरियां फरवरी माह के तृतीय सप्ताह में आवश्यक रूप से भिजवा देंगे।

संलग्न:

1. अंकों की सूची प्रारूप 'अ'

2. बिल प्रारूप 'ब'

निदेशक
क्षेत्रीय केन्द्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा

बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र शाला प्रधान द्वारा अध्यापन पाठों के संकलित अंको को भेजने का प्रारूप

1.	विद्यार्थी का नाम	स्काँलर नं.	अध्यापन विषयों के नाम		पर्यवेक्षक का नाम	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
			(1) विषय	प्रासांक MM36		
			(2) विषय	प्रासांक MM24	पर्यवेक्षक का नाम	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
2.	विद्यार्थी का नाम	स्काँलर नं.	(1) विषय	प्रासांक MM36	पर्यवेक्षक का नाम	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
			(2) विषय	प्रासांक MM24	पर्यवेक्षक का नाम	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

(शाला प्रधान के हस्ताक्षर सील सहित)



VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
Regional Centre,

PRACTICE TEACHING BILL PROFORMA FOR B.Ed. SESSION

1. Name of School and place
2. Name of Head Master/Principal

S. No.	Scholar No.	Name of Student	Subject	No. of Lesson	Signature of Supervisor
1			I-Teaching:	18	
			II-Teaching:	12	

Name	Rate ¹	Amount	Signature
1.Principal/H.M Name :	@150/-per student
2.Supervisor's Name:(i)	@20/- per lesson
(ii).....	@20/- per lesson
3.Postal charges (Please enclose receipt, if any)		
Total		_____	

SCHOOL BANK ACCOUNT DETAILS :

Bank Account Number : _____
Name of Bank & Branch : _____
IFSC Code No. : _____

Principal/Head Master Signature with seal

FOR OFFICE USE ONLY

Verified that the award list has been received & entered at B.Ed./P.T. Register Page No. _____

Passed for Rs..... (Rupees.....) for students.

DIRECTOR, RC

¹. आदेश क्रमांक. वमखुवि/2017/415 दिनांक 13.2.17

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

सत्रीय कार्य Internal Assignment



बी० एड० सत्र -----

बी० एड० (प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष) B. Ed. (First Year/Second Year)

- कोर्स / प्रश्न पत्र कोड (Course Code).....
1. कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम
 2. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....
 3. छात्र का नाम
 - Name of Student (in capital letters)
 4. मोबाइल नं.
 - Mobile No.
 5. पत्र व्यवहार का पता (Address for Corresponding)
 -
 -
 6. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....
 - Name of Study Centre
 7. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

प्रोजेक्ट फाईल/ Project File



बी० एड० सत्र -----

बी० एड० (प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष) B. Ed. (First Year/Second Year)

- कोर्स / प्रश्न पत्र कोड (Course Code).....
1. कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम
 2. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....
 3. छात्र का नाम
 - Name of Student (in capital letters)
 4. मोबाइल नं.
 - Mobile No.
 5. पत्र व्यवहार का पता (Address for Corresponding)
 -
 -
 6. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....
 - Name of Study Centre
 7. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

फाइनल लेसन (Final Lesson)

प्रथम शिक्षण विषय / द्वितीय शिक्षण विषय



बी० एड० सत्र -----

कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम : B.Ed. 116 (Final Lesson)

1. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....
2. छात्र का नाम
Name of Student (in capital letters)
मोबाइल नं. (Mobile No.).....
3. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....
Name of Study Centre
4. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....

हस्ताक्षर (आन्तरिक परीक्षक)

- 1.
- 2.

हस्ताक्षर (बाह्य परीक्षक)

- 1.
- 2.

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

इन्टर्नशिप प्रोजेक्ट फाइल / Internship Project File

इन्टर्नशिप Bed – 116 (क्रम संख्या 1से10) (पूर्णांक 120)



बी० एड० (द्वितीय वर्ष) B. Ed. (Second Year)

- कोर्स / प्रश्न पत्र कोड (Course Code).....
1. कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम
 2. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....
 3. छात्र का नाम
 - Name of Student (in capital letters)
 4. मोबाइल नं.
 - Mobile No.
 5. पत्र व्यवहार का पता (Address for Corresponding)
 -
 -
 6. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....
 - Name of Study Centre
 7. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

अध्यापन अभ्यास फाईल/ Practice Teaching File

B.Ed. - 116 : (क्रम संख्या 11/12)

पूर्णांक प्रथम शिक्षण विषय 36 द्वितीय शिक्षण विषय 24

प्रथम शिक्षण विषय / द्वितीय शिक्षण विषय का नाम -----



बी० एड० (द्वितीय वर्ष) B. Ed. (Second Year)

कोर्स / प्रश्न पत्र कोड (Course Code).....

1. कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम

2. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....

3. छात्र का नाम

Name of Student (in capital letters)

मोबाइल नं. Mobile No.....

4. पत्र व्यवहार का पता (Address for Corresponding)

.....

.....

5. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....

Name of Study Centre

6. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....